

इसे वेबसाइट www.govtpress.mp.gov.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 जनवरी 2026—माघ 3, शक 1947

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभागों के आदेश,
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के
आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत
की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.— स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकी सूचनाएं,

भाग 4.— (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3) संसद् में पुरः स्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद् के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग 9

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 02 जनवरी 2026

क्र. ई-1-3-2026-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारी को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाये गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम, बैच तथा वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1	श्री दिलीप कुमार यादव (2014) आयुक्त, नगर पालिक निगम, इंदौर तथा अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंदौर (अतिरिक्त प्रभार)	उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग.

भोपाल, दिनांक 02 जनवरी 2026

क्र. ई-1-1-2026-5-एक.-नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाये गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :-

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम, बैच तथा वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री रोहित सिसोनिया (2017), अपर आयुक्त, नगर पालिक निगम, इंदौर	उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग	---
2.	श्री आकाश सिंह (2019), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, खरगौन	अपर आयुक्त, नगर पालिक निगम, इंदौर	उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन
3.	श्री प्रखर सिंह (2020), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, आलीराजपुर	अपर आयुक्त, नगर पालिक निगम, इंदौर	उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन
4.	श्री आशीष कुमार पाठक (2020), उप परिवहन आयुक्त, इंदौर	अपर आयुक्त, नगर पालिक निगम, इंदौर	उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन

भोपाल, दिनांक 03 जनवरी 2026

क्र. ई-1-4-2026-5-एक.-नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारी को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाये गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :-

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम, बैच तथा वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1.	श्री क्षितिज सिंघल (2014), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, भोपाल.	आयुक्त, नगर पालिक निगम, इंदौर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग जैन, मुख्य सचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2026

संशोधित आदेश

क्र.ई.1-1-3-0008-2025-B-2-02(HOM).-राज्य शासन द्वारा श्री कुमार सौरभ, भापुसे पुलिस महानिरीक्षक (अजाक), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को खण्डवर्ष 2022-25 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 26 दिसम्बर 2025 से 02 जनवरी 2026 तक, कुल आठ दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 25 दिसम्बर, 2025 व 03-04 जनवरी, 2026 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में भारत भ्रमण पर लक्षदीप की यात्रा पर जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश के नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है :-

- | | | |
|--------------------------|---|--------|
| 1. श्री कुमार सौरभ | — | स्वयं |
| 2. श्रीमती मेघा सिन्हा | — | पत्नी |
| 3. कुमारी प्रियांशी सहाय | — | पुत्री |
| 4. श्री आरव सहाय | — | पुत्र |

(2) श्री कुमार सौरभ, भापुसे की अवकाश अवधि में पुलिस महानिरीक्षक (अजाक), पुलिस मुख्यालय, भोपाल का चालू कार्य डॉ. सोनाली दुबे, रापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक (अजाक), पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री कुमार सौरभ, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (अजाक), पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री कुमार सौरभ, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री कुमार सौरभ, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कुमार सौरभ, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. ई.एफ.1-1-3-0022-2025-ब-2-दो.-राज्य शासन द्वारा श्रीमती श्रद्धा तिवारी, भापुसे पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय), नगरीय पुलिस भोपाल को दिनांक 26 अक्टूबर 2025 से 09 नवम्बर 2025 तक, कुल 15 दिवस लघुकृत/परिवर्तित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से तीस दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती श्रद्धा तिवारी, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती श्रद्धा तिवारी, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो वे अपने पद पर बनीं रहतीं.

क्र. ई.एफ.1-1-1-0158-2025-ब-2-दो.-राज्य शासन द्वारा श्री अतुल सिंह, भापुसे (2009), उप पुलिस महानिरीक्षक, जबलपुर रेंज, जबलपुर को दिनांक 25 नवम्बर से 09 दिसम्बर 2025 तक, कुल पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) श्री अतुल सिंह, भापुसे की अवकाश अवधि में उप पुलिस महानिरीक्षक, जबलपुर रेंज जबलपुर का चालू कार्य श्री सम्पत उपाध्याय, भापुसे (2013), पुलिस अधीक्षक, जिला-जबलपुर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अतुल सिंह, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, जबलपुर रेंज जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अतुल सिंह, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री अतुल सिंह, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अतुल सिंह, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. ई.एफ.1-1-1-0227-2025-ब-2-दो.-राज्य शासन द्वारा श्री देव प्रकाश गुप्ता, भापुसे (1994), अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, शिकायत एवं मानव अधिकार, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 06 से 09 जनवरी 2026 तक, कुल चार दिवस अर्जित अवकाश एवं 10-11 जनवरी, 2026 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) श्री देव प्रकाश गुप्ता, भापुसे की अवकाश अवधि में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, शिकायत एवं मानव अधिकार, पुलिस मुख्यालय, भोपाल का चालू कार्य श्री के. पी. वैकाटेश्वर राव, भापुसे (1995), अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएं/नारकोटिक्स, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री देव प्रकाश गुप्ता, भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, शिकायत एवं मानव अधिकार, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री देव प्रकाश गुप्ता, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री देव प्रकाश गुप्ता, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री देव प्रकाश गुप्ता, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 12 जनवरी 2026

क्र. ई.एफ. 1-1-1-0220-2025-ब-2-दो.-राज्य शासन, एतद्वारा, श्री अखिल पटेल, भापुसे (2015), पुलिस उपायुक्त, अपराध, नगरीय पुलिस, जिला भोपाल को दिनांक 18 से 26 जनवरी 2026 तक, नौ दिवस अर्जित अवकाश अवधि में सपरिवार The United Arab Emirates (UAE) की निजी विदेश यात्रा (EX-India Leave) की कार्योत्तर अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है :-

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।

2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे।

3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे।

(2) श्री अखिल पटेल, भापुसे, की अवकाश अवधि में पुलिस उपायुक्त, अपराध, नगरीय पुलिस, जिला भोपाल का चालू कार्य श्री विवेक सिंह, भापुसे, पुलिस उपायुक्त, जोन-2, नगरीय पुलिस, जिला भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अखिल पटेल, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पुलिस उपायुक्त, अपराध, नगरीय पुलिस, जिला भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री अखिल पटेल, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री अखिल पटेल, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अखिल पटेल, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र.ई. 1-1-1-0233-2025-B-2-02(HOM).-राज्य शासन द्वारा श्री सत्येन्द्र कुमार शुक्ल, भापुसे (2009), उप पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को खण्डवर्ष 2022-25 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 27 से 28 दिसम्बर 2025 तक कुल दो दिवस विज्ञप्त अवकाश अवधि में परिवार सहित गृह नगर रीवा की यात्रा पर जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश के नगदीकरण की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है :-

- | | | |
|--------------------------------|---|-------|
| 1. श्री सत्येन्द्र कुमार शुक्ल | - | स्वयं |
| 2. श्रीमती अंजू शुक्ल | - | पत्नी |

(2) अवकाश से लौटने पर श्री सत्येन्द्र कुमार शुक्ल, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) श्री सत्येन्द्र कुमार शुक्ल, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(4) अवकाशकाल में श्री सत्येन्द्र कुमार शुक्ल, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(5) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सत्येन्द्र कुमार शुक्ल, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. ई. 1-1-1-0250-2025-बी-2-दो.-राज्य शासन द्वारा विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 09 दिसम्बर 2025 को निरस्त करते हुए, उसके स्थान पर श्रीमती हिमानी खन्ना, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, सागर जोन, सागर को खण्डवर्ष 2022-25 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 11 से 16 दिसम्बर 2025 तक, कुल छः दिवस अर्जित अवकाश अवधि में भारत भ्रमण अवकाश यात्रा सुविधा के अंतर्गत कच्छ, गिर, रण (गुजरात) की यात्रा पर जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश के नगदीकरण की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है :-

1. श्रीमती हिमानी खन्ना — स्वयं
2. श्री विनीत खन्ना — पति

(2) श्रीमती हिमानी खन्ना, भापुसे की अवकाश अवधि में पुलिस महानिरीक्षक, सागर जोन, सागर का चालू कार्य श्री शशीन्द्र चौहान, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, सागर रेंज, सागर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती हिमानी खन्ना, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, सागर जोन, सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्रीमती हिमानी खन्ना, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्रीमती हिमानी खन्ना, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती हिमानी खन्ना, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर बनीं रहतीं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अन्नु भलावी, अवर सचिव।

विधि और विधायी कार्य विभाग

प्रथम तल, विन्ध्याचल भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 जनवरी 2026

फा. क्र. 75-इक्कीस-ब (दो).-राज्य शासन, इस विभाग के आदेश क्रमांक-3019-इक्कीस-ब(दो), दिनांक 04 नवम्बर 2024, एतद्वारा, माननीय उच्च न्यायालय, मुख्यपीठ जबलपुर में विशेष पुलिस स्थापना एवं लोकायुक्त संगठन, भोपाल के प्रकरणों में पैरवी किये जाने हेतु नियुक्त अधिवक्ता श्री अभिनव श्रीवास्तव, विशेष लोक अभियोजक, जबलपुर के कार्यकाल में दिनांक 01 नवम्बर 2025 से पुनः एक वर्ष की अभिवृद्धि करता है। उन्हें प्रतिमाह नियत मासिक पारिश्रमिक की राशि 55,000/- रुपये तथा संबंधित प्रकरण का स्टेशनरी आदि का अनुषांगिक व्यय देय होगा, पारिश्रमिक का भुगतान लोकायुक्त संगठन, भोपाल द्वारा किया जावेगा।

फा. क्र. 76-इक्कीस-ब (दो).-राज्य शासन, इस विभाग के आदेश क्रमांक 3021-इक्कीस-ब(दो), दिनांक 04 नवम्बर 2024, एतद्वारा, माननीय उच्च न्यायालय, मुख्यपीठ जबलपुर में विशेष पुलिस स्थापना एवं लोकायुक्त संगठन, भोपाल के प्रकरणों में पैरवी किये जाने हेतु नियुक्त अधिवक्ता श्री संजय सरवटे, विशेष लोक अभियोजक, जबलपुर के कार्यकाल में दिनांक 01 नवम्बर 2025 से "6 माह" की अभिवृद्धि करता है। उन्हें प्रतिमाह नियत मासिक पारिश्रमिक की राशि 55,000/- रुपये तथा संबंधित प्रकरण का स्टेशनरी आदि का अनुषांगिक व्यय देय होगा, पारिश्रमिक का भुगतान लोकायुक्त संगठन, भोपाल द्वारा किया जावेगा।

फा. क्र. 77-इक्कीस-ब (दो).-राज्य शासन, इस विभाग के आदेश क्रमांक 3018-इक्कीस-ब(दो), दिनांक 04 नवम्बर 2024 द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त संगठन, भोपाल के प्रकरणों में शासन की ओर से पैरवी किये जाने हेतु नियुक्त स्टेंडिंग काउंसिल, श्री निशांत रमाकांत राव कटनेशवर्कर, अधिवक्ता, नई दिल्ली को लोकायुक्त संगठन, भोपाल के दाण्डिक प्रकरण, अपील, एस.एल.पी. एवं अन्य विविध प्रकरणों में एवं समय-समय पर माननीय लोकायुक्त महोदय के निर्देशानुसार सौंपे गये प्रकरणों में शासन की ओर से पैरवी किये जाने हेतु उनके कार्यकाल में दिनांक 1 नवम्बर 2025 से पुनः एक वर्ष की अभिवृद्धि करता है। उन्हें प्रतिमाह नियत मासिक पारिश्रमिक की राशि 70,000/- रुपये तथा संबंधित प्रकरण का स्टेशनरी आदि का अनुषांगिक व्यय देय होगा, पारिश्रमिक का भुगतान लोकायुक्त संगठन, भोपाल द्वारा किया जावेगा।

फा. क्र. 78-इक्कीस-ब (दो).- राज्य शासन, इस विभाग के आदेश क्रमांक-3017-इक्कीस-ब(दो), दिनांक 04 नवम्बर 2024, एतद्वारा, माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ग्वालियर में विशेष पुलिस स्थापना एवं लोकायुक्त संगठन, भोपाल के प्रकरणों में पैरवी किये जाने हेतु नियुक्त अधिवक्ता श्री सुशील चन्द्र चतुर्वेदी, विशेष लोक अभियोजक, ग्वालियर के कार्यकाल में दिनांक 04 नवम्बर 2025 से पुनः एक वर्ष की अभिवृद्धि करता है। उन्हें प्रतिमाह नियत मासिक पारिश्रमिक की राशि 55,000/- रुपये तथा संबंधित प्रकरण का स्टेशनरी आदि का अनुषांगिक व्यय देय होगा, पारिश्रमिक का भुगतान लोकायुक्त संगठन, भोपाल द्वारा किया जावेगा।

फा. क्र. 79-इक्कीस-ब (दो).- राज्य शासन, इस विभाग के आदेश क्रमांक 3016-इक्कीस-ब(दो), दिनांक 04 नवम्बर 2024, एतद्वारा, माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ, इन्दौर में विशेष पुलिस स्थापना एवं लोकायुक्त संगठन, भोपाल के प्रकरणों में पैरवी किये जाने हेतु नियुक्त अधिवक्ता श्री प्रसन्ना प्रसाद, विशेष लोक अभियोजक, इन्दौर के कार्यकाल में दिनांक 01 नवम्बर 2025 से पुनः एक वर्ष की अभिवृद्धि करता है। उन्हें प्रतिमाह नियत मासिक पारिश्रमिक की राशि 55,000/- रुपये तथा संबंधित प्रकरण का स्टेशनरी आदि का अनुषांगिक व्यय देय होगा, पारिश्रमिक का भुगतान लोकायुक्त संगठन, भोपाल द्वारा किया जावेगा।

भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2026

पंजी.क्र.4227-इक्कीस-ब(दो)-2025.- राज्य शासन, एतद्वारा, श्री एस.डी. राठौर (सूरज दशरथ राठौर), नोटरी, तहसील खकनार, जिला बुरहानपुर के विरुद्ध प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर विवाह विच्छेद विलेख तस्दीक किये जाने का दोषी पाया गया है। जिसके फलस्वरूप नोटरी अधिनियम, 1952 (क्रमांक 53 सन् 1952) की धारा 10 के खण्ड (घ) सहपठित नोटरी नियम 1952 के नियम, 13 के उपनियम (12) के खण्ड (ख) (I) के अंतर्गत नोटरी के रूप में व्यवसाय करने का प्रमाण-पत्र निरस्त करते हुए, स्थायी तौर से नोटरी का व्यवसाय करने से वर्जित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मुकेश कुमार, सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश

खण्डवा, दिनांक 27 दिसम्बर 2025

संशोधित आदेश

क्र.-63-2025-न्या.लि.-21912.-कार्यालयीन आदेश
क्रमांक-63-2025-न्या.लि.-17330, खण्डवा, दिनांक

09 अक्टूबर 2025 द्वारा खण्डवा जिले में स्थित नर्मदा नदी पर बने मोरटक्का पुल की क्षमता एवं संरचनात्मक विन्यास को दृष्टिगत रखते हुए व्यापक जनहित में उक्त पुल से आवागमन हेतु इन्दौर-इच्छापुर मार्ग पर (20 टन बजन से एवं 06 चक्के से अधिक) भारी मालयान संचालित किया जाना प्रतिबंधित किया गया है। किन्तु इस आदेश में कुछ श्रेणी के वाहनों को प्रतिबंध से मुक्त रखा है।

चूंकि, पवित्र नगरी ओंकारेश्वर में दिनांक 27 दिसम्बर 2025 से 05 जनवरी 2026 तक दिसम्बर माह के अंतिम सप्ताह एवं नववर्ष प्रारंभ होने से अत्यधिक संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन की सम्भावना है। इस अवसर पर ओंकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग दर्शन के साथ-साथ पावन नर्मदा नदी में स्नान हेतु दो लाख से अधिक श्रद्धालुओं के प्रतिदिन आगमन की सम्भावना है। खण्डवा जिले का खण्डवा इन्दौर अत्यन्त व्यस्त सड़क मार्ग है। जिसमें भारी एवं हल्के वाहन का आवागमन निरन्तर रूप से चलता रहता है। श्रद्धालुओं के निर्बाध परिवहन, सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा की दृष्टि से, जन सामान्य की सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए यह अत्यन्त आवश्यक है कि खण्डवा इन्दौर मार्ग को भारी वाहनों को उक्त अवधि में प्रतिबंधित किया जावे तथा भारी वाहनों के आवागमन में कोई व्यवधान ना हो इस हेतु अन्य वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था भी की जावे। उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर मैं, संतुष्ट हूँ कि खण्डवा-इन्दौर मार्ग पर भारी वाहनों का परिचालन (दिनांक 27 दिसम्बर 2025 से 05 जनवरी 2026 तक) पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाना जनहित में, लोक सुरक्षा के लिए आवश्यक है।

(2) अतएव, इन्दौर-इच्छापुर हाईवे पर संचालित होने वाले भारी मालयान जनहित एवं सार्वजनिक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 115 तथा केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1994 के नियम 215 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मैं, ऋषव गुप्ता, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला खण्डवा निम्नांकित यह आदेश देता हूँ कि :-

- (1) नववर्ष के अवसर पर दिनांक 27 दिसम्बर 2025 से दिनांक 05 जनवरी 2026 तक प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक इन्दौर-इच्छापुर मार्ग पर भारी मालयान संचालित किया जाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करता हूँ, इस मार्ग पर भारी मालयान संचालित नहीं होंगे। रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक

कार्यालयीन आदेश क्रमांक-63-2025-न्यालि-17330
खण्डवा दिनांक 09 अक्टूबर 2025 द्वारा जारी दिशा
निर्देश लागू रहेंगे।

- (2) बुरहानपुर की ओर से खण्डवा जिले में प्रवेश करने
वाले भारी वाहन खण्डवा जिले के ग्राम देशगांव में
प्रवेश कर खरगोन धामनोद होते हुए ए.बी. रोड तक
पहुंचेंगे।

- (3) इन्दौर से चलने वाले भारी वाहन खरगोन जिले से
होते हुए खण्डवा जिले के ग्राम देशगांव में प्रवेश कर
देशगांव से अपने गन्तव्य तक पहुंचेंगे।

यह आदेश मात्र दिनांक 27 दिसम्बर 2025 से
05 जनवरी 2026 तक प्रभावशील होगा। इसके पश्चात्
कार्यालयीन आदेश क्रमांक-63-2025-न्यालि-17330,
खण्डवा, दिनांक 09 अक्टूबर 2025 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों
के तहत आगामी आदेश तक इन्दौर-इच्छापुर हाईवे पर भारी
मालयान संचालित होंगे।

ऋषव गुप्ता, जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश

राजगढ़, दिनांक 9 जनवरी 2026

क्र. 170-एस.सी.-दो-2026.-मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एम.
3-2-1999-एक-4, भोपाल, दिनांक 30 मार्च, 1999 द्वारा विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा, कलेक्टर,
जिला राजगढ़ (म.प्र.), एतद्वारा, वर्ष 2026 में सम्पूर्ण राजगढ़ जिले के लिए पूरे दिवस का निम्नानुसार स्थानीय अवकाश घोषित
करता हूँ :-

क्रमांक (1)	दिनांक (2)	दिन (वार) का नाम (3)	पर्व/त्यौहार (4)
1.	12.03.2026	गुरुवार	उर्स बाबा बदखशानी
2.	19.10.2026	सोमवार	महानवमी
3.	06.11.2026	शुक्रवार	धनतेरस

गिरिश कुमार मिश्रा, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश

छतरपुर, दिनांक 5 जनवरी 2026

क्र. 02-एस.सी.-1-2026.-मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की अधिसूचना
क्रमांक एफ. 3-2-1999-एक-4, भोपाल, दिनांक 30 मार्च, 1999 द्वारा सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2, अनुक्रमांक 4 के नियम 8
के अनुसार जिले के भीतर तीन स्थानीय अवकाश की घोषणा करने के लिये अधिकृत किया गया है।

अतः सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2, अनुक्रमांक-4 की कण्डिका-8 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,
मैं, पार्थ जैसवाल, कलेक्टर, छतरपुर वर्ष 2026 के लिये छतरपुर जिला अंतर्गत निम्न त्यौहारों पर उनके समक्ष दर्शाई गई
तारीखों को पूरे दिन के लिये स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ :-

स. क्र.	त्यौहार/पर्व (2)	अवकाश का दिनांक (3)	अवकाश का दिन (4)	क्षेत्र (5)
1.	मकर संक्रांति	15 जनवरी 2026	गुरुवार	सम्पूर्ण जिला
2.	भाई दोज (होली)	05 मार्च 2026	गुरुवार	सम्पूर्ण जिला
3.	देवउठनी ग्यारस	20 नवम्बर 2026	शुक्रवार	सम्पूर्ण जिला

पार्थ जैसवाल, कलेक्टर.

राज्य शासन के आदेश

गृह (सामान्य) विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2026

क्र. HOM-32-0006-2025-Gen-दो(HOM).— जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का 37) के उपबंधों के अधीन बनाई गई जनगणना नियमावली, 1990 के नियम 8 (iii) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा घोषित करता है कि मध्यप्रदेश राज्य में भारत की जनगणना 2027 से सम्बन्धित मकानसूचीकरण का कार्य, 01 मई 2026 से 30 मई 2026 तक किया जायेगा. स्व-गणना के लिए विकल्प भी उपलब्ध होगा, जो कि तीस दिन की घर-घर जाकर मकानसूचीकरण का कार्य आरंभ होने से ठीक पहले पंद्रह दिन की समयावधि में संचालित किया जाएगा.

क्र. HOM-32-0006-2025-Gen-II(HOM).— In exercise of the powers conferred under Rule 8(iii) of the Census Rules, 1990 framed under the provisions of the Census Act, 1948 (37 of 1948), the State Government hereby declares that the Houselisting Operations of Census of India 2027 shall take place from 01st May 2026 to 30th May 2026 in the State of Madhya Pradesh. There shall also be an option for self-enumeration which shall be conducted in fifteen days' time period just before the start of house to house houselisting operations of thirty days.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अभिषेक सिंह, सचिव एवं राज्य नोडल अधिकारी.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 2026

क्र.— यूडीएच-3-0309-2025-अठारह-5.— मध्यप्रदेश शासन द्वारा विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-133-32-98, दिनांक 26 नवम्बर 1998 के द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13(2) क के अंतर्गत कटनी निवेश क्षेत्र का गठन किया गया था, उक्त निवेश क्षेत्र की सीमा को मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 (2) में निम्नानुसार पुनरीक्षित किया जाता है. वृद्धित निवेश क्षेत्र की सीमाएं निम्न अनुसूची में दर्शायी गई हैं :—

कटनी निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमाएं

- उत्तर में : ग्राम चाका, लमतारा, मतवार पड़रिया की उत्तरी सीमा तक.
 पूर्व में : ग्राम मतवार पड़रिया, घटखिरवा, खिरहनी, जोहला, छपरवारा, हिरवारा गाताखेड़ा, पड़रिया की पूर्वी सीमा तक.
 दक्षिण में : ग्राम पड़रिया, गाताखेड़ा, पिपरिया, इमलिया, कछगवां, गैतरा, देवरी से दक्षिण सीमा तक.
 पश्चिम में : ग्राम देवरी, झिंझरी, गुलवारा, अमकुही कैलवारा, टिकरिया, पुरैनी, पहरूवा तथा चाका की पश्चिमी सीमा तक.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सुप्रिया पेंडके, अवर सचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 जनवरी 2026

क्रमांक/PCCF/7/0205/2025-FLR-PCCF :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।

अनुसूची

जिला :- खरगोन

वनमण्डल:-खरगोन

तहसील:- भीकनगांव

वन परिक्षेत्र:-भीकनगांव सीमाएं

अ.क्र	वनखंड की भूमि का विवरण					सीमाएं
	वनखंड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद्	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हे.मे)	
1.	केदवा जागीर	केदवा जागीर	शासकीय भूमि	313/2 315/2/2 171/1/1/2	13.028 5.722 1.250	उत्तर- केदवा जागीर संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक-1 से मुनारा क्रमांक 3 तक कृत्रिम वनसीमा। पूर्व- केदवा जागीर संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक-3 से मुनारा क्रमांक 13 तक कृत्रिम वनसीमा। दक्षिण- केदवा जागीर संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक-13 एवं मुनारा क्रमांक 14 तक कृत्रिम वनसीमा। पश्चिम- केदवा जागीर संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक-14 से मुनारा क्रमांक 1 तक कृत्रिम वनसीमा।
योग					20.00	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक/ 6-MPC052/2021-BHO दिनांक 20.09.2021 में अधिरोपित शर्त के अनुसार आवेदक विभाग नर्मदा विकास नहर संभाग, क्रमांक-21 सनायद की स्वीकृत परियोजना भीकनगांव-ब्रिजलवाड़ा बाईको उद्दहन सिंचाई परियोजना में प्रभावित 19.379 हेक्टेयर के एवज में प्राप्त कुल 20.000 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 20.000 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला खरगोन के आदेश क्रमांक/3525/वाचक-2/2019 दिनांक 29.11.2019 (प्र.क्र/31/अ-74/2019-20) हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण- क्षतिपूर्ति वनीकरण।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) भीकनगांव के पत्र/289/रीडर-2/2024 दिनांक 18.01.2024 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार:- निरंक
2. सामुदायिक अधिकार:-निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अंकित पाण्डेय, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 21 जनवरी 2026

क्र. PCCF-7-0205-2025-FLR-PCCF.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF-7-0205-2025-FLR-PCCF, दिनांक 21 जनवरी 2026 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंकित पाण्डेय, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 21st January 2026

No./PCCF/7/0205/2025-FLR-PCCF :: In exercise of the powers conferred by Section 29 of The Indian Forest Act, 1927 (No XVI of 1927), the State Government is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individual or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time.

SCHEDULE

District- Khargone
Forest Division- Khargone

Tahsil- Bhikangaon
Forest Rang- Bhikangaon

S.N.	Name of Forest Block	Detail of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of Land	Khasra No.	Area (ha.)	
1	Kedwa Jagir	Kedwa Jagir	Government Land	313/2 315/2/2 171/1/1/2	13.028 5.722 1.250	North:- Artificial Forest Boundaries from pillar No. 01 to pillar No. 03 of Kedwa Jagir Protected Forest Block. East :- Artificial Forest Boundaries from pillar No. 03 to pillar No. 13 of Kedwa Jagir Protected Forest Block. South:- Artificial Forest Boundaries from pillar No. 13 to pillar No. 14 of Kedwa Jagir Protected Forest Block. West:- Artificial Forest Boundaries from pillar No. 14 to pillar No. 1 of Kedwa Jagir

						Protected Block.	Forest
Total						20.000	

1. Reason for publication of Notification:-

(A) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Govt. of India's order No. 6-MPC052/2021-BHO dated 20.09.2021 and in lieu of 19.379 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Narmada Vikas Nahar Sambhag, No-21 Sanawad of Bhikangaon Brinjalwada Micro Lift Irrigation Scheme, the above mentioned Non-forest land of 20.000 hectare transferred or mutated in favor of Madhya Pradesh Government, Forest Department vide order No./3525/Vachak-2/2019 Date 29-11-2019 (Case No./31/A-74/2019-20) of The Collector, District Khargone, for the purpose of compensatory afforestation.

2. Detail of other reasons:- Compensatory Afforestation

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report no. 289/Reader-2/2024 dated 18-01-2024 of Designation of Competent Revenue officer) SDM, Bhikangaon are as under.

1. Individual Rights- Nil

2. Community Rights- Nil

Therefore, the above land is being declared as a Protected Forest under Section 29 of The Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ANKIT PANDEY, Officer on Special Duty & Ex-officio Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 22 जनवरी 2026

क्रमांक/PCCF/7/0205/2025-FLR-PCCF-Part(1) :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम, के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।

अनुसूची

जिला:- खरगोन
तहसील:- कसरावद

वनमंडल: खरगोन
वन परिक्षेत्र:- कसरावद

अ.क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					सीमाएं
	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद्	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	
1	धरण्या	धरण्या	नाममात्रित वनस्थ खरगोई	90/2 90/3	6.00 14.00	उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक-16 से मुनारा क्रमांक-23 एवं मुनारा क्रमांक-01 तक कृत्रिम वनसीमा। पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक-01 से मुनारा क्रमांक-06 तक कृत्रिम वनसीमा। दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक-06 से मुनारा क्रमांक-15 तक कृत्रिम वनसीमा। पश्चिम- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक-1 5 एवं मुनारा

					क्रमांक-1 6 तक कृत्रिम वनसीमा।
योग					20.00

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-

1.(अ.) भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के आदेश क्रमांक/6-MPC007/2021-BHO/402 दिनांक 11.05.2021 में अधिरोपित शर्त के अनुसार नर्मदा विकास नहर संभाग, क्रमांक-21 सनावद की स्वीकृत परियोजना अम्बा-रोडिया माईक्रो उद्बहन सिंचाई योजना में प्रभावित 13.735 हेक्टेयर के एवज में प्राप्त कुल 6.000 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 6.000 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला खरगोन के आदेश क्रमांक/2267/वाचक-2/2020 दिनांक 25.09.2020 (प्र.क्र/34/अ-74/2020-21) हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

1(ब.) भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के आदेश क्रमांक/6-MPC006/2021-BHO/218 दिनांक 18.03.2021 में अधिरोपित शर्त के अनुसार आवेदक विभाग नर्मदा विकास नहर संभाग, खरगोन की स्वीकृत परियोजना बलकवाड़ा माईक्रो उद्बहन सिंचाई योजना में प्रभावित 13.513 हेक्टेयर के एवज में प्राप्त कुल 14.000 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 14.000 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला खरगोन के आदेश क्रमांक/2265/वाचक-2/2020 दिनांक 25.09.2020 (प्र.क्र/32/अ-74/2020-21) हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण- क्षतिपूर्ति वनीकरण।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कसरावद के प्रतिवेदन क्रमांक-53 एवं 51 दिनांक 08/01/2025 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार:- निरंक

2. सामुदायिक अधिकार:-निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अंकित पाण्डेय, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 22 जनवरी 2026

क्र. PCCF-7-0205-2025-FLR-PCCF-Part(1).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF-7-0205-2025-FLR-PCCF-Part(1), दिनांक 22 जनवरी 2026 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंकित पाण्डे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 22nd January 2026

No./PCCF/7/0205/2025-FLR-PCCF-Part(1) :: In exercise of the powers conferred by Section 29 of The Indian Forest Act, 1927 (No XVI of 1927), the State Government is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time.

SCHEDULE

District- Khargone

Forest Division- Khargone

Tehsil- Kasrawad

Forest Range- Kasrawad

S.no.	Name of proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (ha.)	
1	Bharniya	Bharniya	Nakabil Kast Charnoi	90/2 90/3	6.000 14.000	North:- Artificial forest boundary from pillar no. 16 to pillar no. 23 and pillar no. 01 of Protected Forest Block. East :- Artificial forest boundary from pillar no. 01 to pillar no. 06 of Protected Forest Block . South:- Artificial forest boundary from pillar no. 06 to pillar no. 15 of Protected Forest Block . West :- Artificial forest boundary from pillar no. 15 to pillar no. 16 of Protected Forest Block.
Total					20.000	

A. Reason for publication of Notification:-

1-(A) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Integrated Regional Office, Bhopal vide **Order No. 6-MPC007/2021-BHO/402 dated 11.05.2021** and in lieu of 13.735 hectare of affected forest land under the sanctioned project of **Narmada Vikas Nahar Sambhag, No-21 Sanawad of Amba-Rodiya Micro Lift Irrigation Scheme** the above mentioned Non-forest land of area 6.000 hectare has been transferred or mutated in favour of M.P. Govt., Forest Department by Order No./2267/Vachak-2/2020 Date 25-09-2020 (Pra.No./34/A-74/2020-21) of The Collector, District **Khargone** for the purpose of compensatory afforestation.

1 (B) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Integrated Regional Office, Bhopal vide **Order No. 6-MPC006/2021-BHO/218 dated 18.03.2021** and in lieu of 13.513 hectare of affected forest land under the sanctioned project of **Narmada Vikas Nahar Sambhag, Khargone of Balakwada Micro Lift Irrigation Scheme**, the above mentioned Non-forest land of Area 14.000 hectare has been transferred or mutated in favour of M.P. Govt., Forest Department by Order No./2265/Vachak-2/2020, Dated 25-09-2020 (Pra.No./32/A-74/2020-21) of The Collector, District **Khargone** the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other reasons:-Compensatory Afforestation

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report no. **53 & 51 dated 03-01-2025** of Sub Divisional Magistrate **Kasrawad** are as under.

1. Individual Rights- Nil

2. Community Rights- Nil

Therefore, the above land is being declared as a Protected Forest under Section 29 of The Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

ANKIT PANDEY, Officer on Special Duty & Ex-officio Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 22 जनवरी 2026

क्रमांक/ PCCF/7/0205/2025-FLR-PCCF-Part(2):: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद द्वारा उक्त अधिनियम, के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनिकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।

अनुसूची

जिला - खरगोन

वनमंडल- खरगोन

तहसील- सनावद

वन परिक्षेत्र - कसरावद

अ.क्र.-	वनखंड की भूमि का विवरण					सीमाएं
	वनखंड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान माल	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	
1	डालची	डालची	छोटे झाड़ का जंगल, पहाड़ चट्टान	343/2	8.000	उत्तर- संरक्षित वनखंड के मुनारा क्रमांक 1 से मुनारा क्रमांक 5 तक की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व- संरक्षित वनखंड के मुनारा क्रमांक 5 से आरक्षित वनखंड मुनारा के मुनारा क्रमांक 28/1 तक कृत्रिम वनसीमा। दक्षिण-आरक्षित वनखंड मुनारा के मुनारा क्रमांक 28/1 से मुनारा क्रमांक 27 तक वनसीमा से होते हुए संरक्षित वनखंड के मुनारा क्रमांक 6 तक कृत्रिम वनसीमा। पश्चिम-संरक्षित वनखंड के मुनारा क्रमांक 6 से मुनारा क्रमांक 1 तक कृत्रिम वन सीमा।

				योग	8.000	
--	--	--	--	-----	-------	--

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-

1. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के आदेश क्रमांक/6-MPC007/2021-BHO/402 दिनांक 11/05/2021 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास नहर संभाग, क्रमांक-21 सनावद (आवेदक विभाग/संस्था/व्यक्ति का नाम) की स्वीकृत परियोजना अंबा-रोडिया माईक्रो उद्बहन सिंचाई योजना (परियोजना का नाम) में प्रभावित 13.735 हेक्टेयर के एवज में प्राप्त कुल 8.000 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि पैकी 8.000 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर जिला खरगोन के आदेश क्रमांक/2269/वाचक-2/2020 दिनांक 25.09.2020 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने का कारण।

2 अन्य करणों का विवरण- क्षतिपूर्ति वनीकरण।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार सनावद/अनुविभागीय अधिकारी, बडवाह के प्रवितेदन क्रमांक/646/री-1/25 दिनांक 21-02-2025 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है-

1. व्यक्तिगत अधिकार - निरंक
2. सामुदायिक अधिकार - निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अंकित पाण्डेय, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 22 जनवरी 2026

क्र. PCCF-7-0205-2025-FLR-PCCF-Part(2).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF-7-0205-2025-FLR-PCCF-Part(2), दिनांक 22 जनवरी 2026 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अंकित पाण्डेय, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 22nd January 2026

No./PCCF/7/0205/2025-FLR-PCCF-Part(2) :: In exercise of the powers conferred by Section 29 of The Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time.

SCHEDULE

District- Khargone
Tahsil- Sanawad

Forest Division- Khargone
Forest Range- Kasrawad

S.N.	Name of Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of Land	Khasra No.	Area (ha.)	
1	Dalchi	Dalchi	chhote jhad ka jangal pahad chattan	343/2	8.000	North:- Artificial forest boundary from pillar No. 1 to pillar No. 5 of Protected Forest Block. East:- Artificial forest boundary from pillar No. 5 of Protected Forest block to pillar No. 28/1 of Reserved Forest Block Murala. South:- Forest boundary from pillar No. 28/1 to pillar No. 27 of Reserved Forest block Murala and artificial forest boundary through upto pillar No. 6 of Protected Forest Block. West:- Artificial forest boundary from pillar No. 6 to pillar No. 1 of Protected Forest Block.
				Total	8.000	

(A) Reason for publication of Notification:-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Integrated Regional Office, Bhopal vide Order No.6-MPC007/2021-BHO/402 dated 11.05.2021 and in lieu of 13.735 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Amba-Rodiya Micro Lift Irrigation Scheme (Name of Project) of E.Eng. Narmada Vikas Nahar Sambhag No-21 Sanawad (Name of User Department/ Agency/Person), the above mentioned Non-forest land of 8.000 Paiki Area 8.000 hectare has been transferred or mutated in favour of M.P. Govt., Forest Department by order No./2269/Vachak-2/2020 dated 25.09.2020 of The Collector District, Khargone for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other Reasons:- Compensatory Afforestation

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report no. 646/jh-1/25 dated 21-02-2025 of Tehsildar, Sanawad/Sub Divisional Magistrate, Barwah are as under.

1. Individual Rights- Nil

2. Community Rights- Nil

Therefore, the above land is being declared as a Protected Forest under Section 29 of The Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ANKIT PANDEY, Officer on Special Duty & Ex-officio Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 21 जनवरी 2026

क्रमांक/PCCF/7/0402/2025-FLR-PCCF-Part(4) :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।

//अनुसूची//

जिला - शिवपुरी

तहसील - बैराड

वनमण्डल - शिवपुरी

वन परिक्षेत्र का नाम - सतनवाड़ा

अ.क्र.	वनमंडल की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएँ
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद्	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल(हे०)	
1	हनुमंता	बसई	शासकीय भूमि	137/2	16.860	उत्तर- संरक्षित वनखंड हनुमंता के मुनारा क्रमांक 11 से मुनारा क्रमांक 01 तक कृत्रिम वन सीमा। पूर्व - संरक्षित वनखंड हनुमंता के मुनारा क्रमांक 01 से मुनारा क्रमांक 02 से होते हुए संरक्षित वन खण्ड इमलीपुरा के मुनारा क्रमांक 53 तक कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण- संरक्षित वनखंड इमलीपुरा के मुनारा क्रमांक 53 से संरक्षित वनखंड हनुमंता के मुनारा क्रमांक 03, मुनारा क्रमांक 04 से होते हुए संरक्षित वनखंड इमलीपुरा के मुनारा क्रमांक 45 / 01 तक

						कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम- संरक्षित वनखंड इमलीपुरा के मुनारा क्रमांक 45 / 01 से मुनारा क्रमांक 45 तक वन सीमा से होते हुए संरक्षित वनखंड हनुमंता के मुनारा क्रमांक 11 तक कृत्रिम वन सीमा।
				योग	16.860	
2	कालाखेड	बसई	शासकीय भूमि	150	64.580	उत्तर- संरक्षित वनखंड बसई के मुनारा क्रमांक 70 से मुनारा क्रमांक 66 तक वन सीमा।
				151/2	33.460	पूर्व - संरक्षित वनखंड बसई के मुनारा क्रमांक 66 से मुनारा क्रमांक 61/ 1 तक वन सीमा।
				152	1.770	दक्षिण- संरक्षित वनखंड बसई के मुनारा क्रमांक 61/1 से संरक्षित वनखंड कालाखेड के मुनारा क्रमांक 02 तक कृत्रिम वन सीमा।
				153/2	22.580	पश्चिम- संरक्षित वनखंड कालाखेड के मुनारा क्रमांक 02 से संरक्षित वनखंड बसई के मुनारा क्रमांक 71/1 तक कृत्रिम वन सीमा एवं संरक्षित वनखंड बसई के मुनारा क्रमांक 71/1 से मुनारा क्रमांक 70 तक वन सीमा।
				155/2	3.810	
				योग	126.200	
				महायोग	143.060	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश क्रमांक फाइल नम्बर 8-01 /2024-एफ सी दिनांक 09.05.2025 में अधिरोपित शर्त के अनुसार स्वीकृत परियोजना ऑपन कास्ट घिरोली कोल माइन परियोजना मे० स्ट्रैटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्रा० लि० में प्रभावित 1397.54 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त 143.060 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर शिवपुरी के आदेश प्रकरण क्रमांक 0177/ अ -20(3) / 2023-24/285 / दिनांक 07-11-2024 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी नायब तहसीलदार गोवर्धन तहसील बैराड के प्रतिवेदन दिनांक 07-08-2025 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार:- निरंक

2. सामुदायिक अधिकार:- निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अंकित पाण्डेय, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 21 जनवरी 2026

क्र. PCCF-7-0402-2025-FLR-PCCF-Part(4).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF-7-0402-2025-FLR-PCCF-Part(4), दिनांक 21 जनवरी 2026 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंकित पाण्डेय, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 21st January 2026

No./PCCF/7/0402/2025-FLR-PCCF-Part(4) :: In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time.

SCHEDULE

District :- Shivpuri
Forest Division: - Shivpuri

Tehsil :- Bairad
Forest Range: - Satarnwada

S.N.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1	Hanumanta	Basai	Govt. Land	137/2	16.860	North- Artificial Forest Boundary from pillar number 11 to pillar number 01 of Protected Forest Block Hanumanta. East- Artificial Forest Boundary from pillar number 01 to pillar number 02 of Protected Forest Block Hanumanta and through upto pillar number 53 of Protected Forest Block Implipura. South- Artificial Forest Boundary from pillar number 53 of protected forest block Implipura to pillar number 03, pillar number 04 of Protected Forest Block Hanumanta

						and through upto pillar number 45/01 of Protected Forest Block Implipura.
						West- Forest Boundary From pillar number 45/01 to pillar no. 45 of Protected Forest Block Implipura and Artificial Forest boundary through upto pillar number 11 of Protected Forest Block Hanumanta.
				Total	16.860	
2	Kalakhed	Basai	Govt. Land	150	64.580	North - Forest boundary From pillar number 70 to pillar number 66 of Protected Forest Block Basai.
				151/2	33.460	
				152	1.770	
				153/2	22.580	
				155/2	3.810	
						East- Forest boundary From pillar number 66 to pillar number 61/1 of Protected Forest Block Basai.
						South - Artificial Forest Boundary From pillar number 61/1 of Protected Forest Block Basai to pillar number 02 of Protected Forest Block Kalakhed.
						West- Artificial Forest Boundary From pillar number 02 of Protected Forest Block Kalakhed to pillar number 71/1 of Protected Forest Block Basai and forest boundary through upto pillar number 70 of Protected Forest

						Block Basai.
				Total	126.200	
				Grand Total	143.060	

(A) Reason for publication of Notification

1. In accordance with the conditions laid down in the Govt. of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi Order No. 8-01/2024-FC dated 09-05-2025 and in lieu of 1397.54 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Open-cast Dhirauli Coal Mine Project by M/s. Stratatech Mineral Resources Pvt. Ltd. the above mentioned Non-forest Land of 143.060 hectare has been transferred or mutated in favour of M.P. Govt., Forest Department, by The Collector, Shivpuri vide Order No. 0177/A-20(3)/2023-24/ 285 Dated 07-11-2024 for the purpose of Compensatory afforestation .

(B) The Khasara-wise details of recorded rights on the above land as per the report dated 07-08-2025 of NT Govardhan Tehsil Bairad. (Designation of Competent Revenue officer) are as under.

1. Individual Rights - Nil

2. Community Rights - Nil

Therefore, the above land is being declared as Protected Forest under Section 29 of The Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ANKIT PANDEY, Officer on Special Duty & Ex-officio Dy. Secy.

क्रमांक/PCCF/7/0402/2025-FLR-PCCF-Part(4) :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत् शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।

वन परिक्षेत्र का नाम - सतनवाड़ा

अ.क्र.	वनमण्डल की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएँ
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद्द	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हे०)	
1	दियाला (ए)	डोगरी	शासकीय भूमि	50	6.000	उत्तर- संरक्षित वनखंड दियाला (ए) के मुनारा क्रमांक 33 से मुनारा क्रमांक 01 तक कृत्रिम वन सीमा। पूर्व- संरक्षित वनखंड दियाला (ए) के मुनारा क्रमांक 01 से मुनारा क्रमांक 19 तक कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण- संरक्षित वनखंड दियाला (ए) के मुनारा क्रमांक 19 से मुनारा क्रमांक 21 तक कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम- संरक्षित वनखंड दियाला (ए) के मुनारा
				51	6.000	
				52	6.000	
				53	6.000	
				54	6.000	
				55	6.000	
				177/1	21.200	
				181/1	3.640	

						क्रमांक 21 से मुनारा क्रमांक 33 तक कृत्रिम वन सीमा।
				योग	60.840	
2	दियाला (बी)	डोगरी	शासकीय भूमि	198/1	17.600	उत्तर- संरक्षित वनखंड दियाला (बी) के मुनारा क्रमांक 07 से मुनारा क्रमांक 08 एवं मुनारा क्रमांक 01 तक कृत्रिम वन सीमा। पूर्व- संरक्षित वनखंड दियाला (बी) के मुनारा क्रमांक 01 से मुनारा क्रमांक 03 तक कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण- संरक्षित वनखंड दियाला (बी) के मुनारा क्रमांक 03 से मुनारा क्रमांक 05 तक कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम- संरक्षित वनखंड दियाला (बी) के मुनारा क्रमांक 05 से मुनारा क्रमांक 07 तक कृत्रिम वन सीमा।
				योग	17.600	
				महायोग	78.440	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश क्रमांक/8-01/2024-एफ.सी. दिनांक 09.05.2025 में अधिरोपित शर्त के अनुसार स्वीकृत परियोजना ओपन कास्ट घिरोली कोल माइन परियोजना में स्ट्रैटाटेक मिनरल रिसोर्सस प्रा० लि० में प्रभावित 1397.54 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त 78.440 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर शिवपुरी के आदेश प्रकरण क्रमांक 0171/अ-20(3)/2023-24/399 दिनांक 07-01-2025 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी नायब तहसीलदार सुभाषपुरा तहसील शिवपुरी के प्रतिवेदन दिनांक 23-09-2025 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार : निरंक

2. सामुदायिक अधिकार : निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अंकित पाण्डेय, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव,

भोपाल, दिनांक 21 जनवरी 2026

क्र. PCCF-7-0402-2025-FLR-PCCF-Part(4).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF-7-0402-2025-FLR-PCCF-Part(4), दिनांक 21 जनवरी 2026 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अंकित पाण्डेय, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 21st January 2026

No./PCCF/7/0402/2025-FLR-PCCF-Part(4) :: In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time.

SCHEDULE

District : - Shivpuri
Forest Division: - Shivpuri

Tehsil : - Shivpuri
Forest Range: - Satanwada

S.N.	Name of Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1	Diyala(A)	Dongri	Govt. Land	50 51 52 53 54 55 177/1 181/1	6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 21.200 3.640	North- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 33 to Pillar No. 01 of Protected Forest Block Diyala (A). East- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 01 to Pillar No. 19 of Protected Forest Block Diyala (A). South- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 19 to Pillar No. 21 of Protected Forest Block Diyala (A). West- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 21 to Pillar No. 33 of Protected Forest Block Diyala (A).
				Total	60.840	
2	Diyala(B)	Dongri	Govt. Land	198/1	17.600	North- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 07 to Pillar No. 08 & up to Pillar No. 01 of Protected Forest Block Diyala (B). East- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 01 to Pillar No. 03 of Protected Forest Block Diyala (B). South- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 03 to Pillar No. 05 of Protected Forest

						Block Diyala (B). West- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 05 to Pillar No. 07 of Protected Forest Block Diyala (B).
				Total	17.600	
				Grand Total	78.440	

(A) Reason for publication of Notification

1. In accordance with the conditions laid down in the Govt. of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi Order No. 8-01/2024-FC dated 09-05-2025 and in lieu of 1397.54 hectare of affected Forest land under the sanctioned project of Open cast Dhirauli Coal Mine Project by the M/s. Stratatech Mineral Resources Pvt. Ltd. the above mentioned Non-forest Land of 78.440 hectare has been transferred or mutated in favour of M.P. Govt., Forest Department, by The Collector, Shivpuri vide Order No. 0171/A-20(3)/2023-24/ 399 dated 07-01-2025 for the purpose of Compensatory afforestation.

(B) The Khasara-wise details of recorded rights on the above land as per the report dated 23-09-2025 of Naib Tehsildar, Shubhaspura Tehsil Shivpuri. (Designation of Competent Revenue officer) are as under.

1. Individual Rights - Nil

2. Community Rights - Nil

Therefore, the above land is being declared as Protected Forest under Section 29 of The Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ANKIT PANDEY, Officer on Special Duty & Ex-officio Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 21 जनवरी 2026

क्रमांक/PCCF/7/0402/2025-FLR-PCCF-Part(4) :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।

//अनुसूची//

जिला - शिवपुरी

तहसील - बैराड

वनमंडल - शिवपुरी

वन परिक्षेत्र का नाम - सतनवाड़ा

अ.क्र.	वनमंडल की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएँ
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद्	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हे०)	
1	शकंडा (ए)	इमलीपुरा	शासकीय भूमि	33/1	10.280	उत्तर- संरक्षित वनखंड शकंडा (ए) के मुनारा क्रमांक 10 से संरक्षित वनखंड इमलीपुरा के मुनारा क्रमांक 51 तक कृत्रिम वन सीमा। पूर्व- संरक्षित वनखंड इमलीपुरा के मुनारा क्रमांक 51 से मुनारा क्रमांक 48 तक वन सीमा। दक्षिण- संरक्षित वनखंड इमलीपुरा के मुनारा क्रमांक 48 से संरक्षित वनखंड शकंडा (ए) के

						मुनारा क्रमांक 01 तक कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम- संरक्षित वनखंड शकंडा (ए) के मुनारा क्रमांक 01 से मुनारा क्रमांक 10 तक कृत्रिम वन सीमा।
2	शकंडा(बी)	इमलीपुरा	शासकीय भूमि	02	18.180	उत्तर- संरक्षित वनखंड इमलीपुरा के मुनारा क्रमांक 71/1 से मुनारा क्रमांक 71 तक वन सीमा। पूर्व - संरक्षित वनखंड इमलीपुरा के मुनारा क्रमांक 71 से मुनारा क्रमांक 69 तक वन सीमा। दक्षिण- संरक्षित वनखंड इमलीपुरा के मुनारा क्रमांक 69 से संरक्षित वनखंड शकंडा (बी) के मुनारा क्रमांक 01 एवं मुनारा क्रमांक 01 से मुनारा क्रमांक 04 तक कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम- संरक्षित वनखंड शकंडा (बी) के मुनारा क्रमांक 04 से मुनारा क्रमांक 09 से होते हुए संरक्षित वनखंड इमलीपुरा के मुनारा क्रमांक 71/1 तक कृत्रिम वन सीमा।

3	शकंडा(सी)	इमलीपुरा	शासकीय भूमि	19/1	23.720	उत्तर- संरक्षित वनखंड इमलीपुरा के मुनारा क्रमांक 61, 72 से मुनारा क्रमांक 71/3, 71/2 तक वन सीमा। पूर्व - संरक्षित वनखंड इमलीपुरा के मुनारा क्रमांक 71/2 से संरक्षित वनखंड शकंडा (सी) के मुनारा क्रमांक 01 एवं मुनारा क्रमांक 01 से मुनारा क्रमांक 13 तक कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण- संरक्षित वनखंड शकंडा (सी) के मुनारा क्रमांक 13 से मुनारा क्रमांक 20 से होते हुए संरक्षित वनखंड इमलीपुरा के मुनारा क्रमांक 65/01 तक कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम- संरक्षित वनखंड इमलीपुरा के मुनारा क्रमांक 65/01 से मुनारा क्रमांक 61 तक वन सीमा।
				योग	52.180	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. (अ) भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश क्रमांक फाईल नम्बर 8-01 /2024-एफ सी दिनांक 09.05.2025 में अधिरोपित शर्त के अनुसार स्वीकृत परियोजना औपन कस्ट चिरोली कोल माइन परियोजना मे० सट्टाटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्रा०लि० में प्रभावित 1397.54 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त 52.180 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर शिवपुरी के आदेश प्रकरण क्रमांक 0174/अ-20(3)/2023-24/283 दिनांक 07-11-2024 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी नायब तहसीलदार गोवर्धन तहसील बैराड के प्रतिवेदन दिनांक 28-08-2025 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार: निरंक

2. सामुदायिक अधिकार: निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अंकित पाण्डेय, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 21 जनवरी 2026

क्र. PCCF-7-0402-2025-FLR-PCCF-Part(4).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF-7-0402-2025-FLR-PCCF-Part(4), दिनांक 21 जनवरी 2026 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अंकित पाण्डे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 21st January 2026

No./PCCF/7/0402/2025-FLR-PCCF-Part(4) :: In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time.

SCHEDULE

District :- Shivpuri
Forest Division: - Shivpuri

Tehsil : - Bairad
Forest Range: - Satnawada

S.no.	Name of Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1	Shakanda (A)	Imlipura	Govt. Land	33/1	10.280	North - Artificial Forest Boundary from pillar number 10 of Protected Forest Block Shakanda (A) to pillar number 51 of Protected Forest Block Imlipura. East - Forest Boundary from pillar number 51 to pillar number 48 of Protected Forest Block Imlipura. South - Artificial Forest Boundary from pillar number 48 of Protected Forest Block Imlipura to pillar number 01 of Protected Forest Block Shakanda (A). West - Artificial Forest Boundary from pillar number 01 to pillar number 10 of Protected Forest Block Shakanda (A).
2	Shakanda (B)	Imlipura	Govt. Land	02	18.180	North - Forest Boundary from pillar number 71/1 to pillar number 71 of Protected Forest Block Imlipura. East - Forest Boundary from pillar number 71 to pillar number 69 of Protected Forest Block Imlipura. South - Artificial Forest Boundary from pillar number 69 of Protected Forest Block

						Imlipura to pillar number 01 of Protected Forest Block Shakanda (B) through upto pillar number 01 to 04 of Protected Forest Block Shakanda (B). West - Artificial Forest Boundary from pillar number 04 to pillar number 09 of Protected Forest Block Shakanda (B) through upto pillar number 71/1 of Protected Forest Block Imalipura.
3	Shakanda (C)	Imlipura	Govt. Land	19/1	23.720	North - Forest Boundary from pillar number 61, 72 to pillar number 71/3 and 71/2 of Protected Forest Block Imlipura. East - Artificial Forest Boundary from pillar number 71/2 of Protected Forest Block Imlipura to pillar number 01 of Shakanda (C) Protected Forest Block, and pillar number 01 to pillar number 13 of Protected Forest Block Shakanda (C). South - Artificial Forest Boundary from pillar number 13 to pillar number 20 of Protected Forest Block Shakanda (C) through upto pillar number 65/01 of Protected Forest Block Imlipura. West - Forest Boundary from pillar number 65/01 to pillar number 61 of Protected Forest Block Imlipura.
				Grand Total	52.180	

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the conditions laid down in the Govt. of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi of order No 8-01/2024-FC dated 09-05-2025 and in lieu of 1397.54 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Open-cast Dhirauli Coal Mine Project by M/s. Stratatech Mineral Resources Pvt. Ltd., the above mentioned Non Forest Land of 52.180 hectare has been transferred or mutated in favour of M.P. Govt., Forest Department by The Collector, Shivpuri vide Order No. 0177/A-20(3)/2023-24/ 283 dated 07-11-2024 for the purpose of Compensatory afforestation.

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report dated 07-08-2025 of Naib Tehsildar, Govardhan Tehsil, Bairad. (Designation of Competent Revenue officer) are as under.

1. Individual Rights - Nil
2. Community Rights - Nil

Therefore, the above land is being declared as a Protected Forest under Section 29 of The Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

ANKIT PANDEY, Officer on Special Duty & Ex-officio Dy. Secy.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 27 अक्टूबर 2025

पत्र क्र.-575-भू-अर्जन-2025.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा (1)12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	भौवार	0.344	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स.), संभाग क्र. 1 रीवा, जिला रीवा (म.प्र.).	दुवगवां NH पथरहा PMGSY सड़क वाया उर्मलियान टोला मार्ग के निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र.-578-भू-अर्जन-2025.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा (1)12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	पथरहा	0.044	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स.), संभाग क्र. 1 रीवा, जिला रीवा (म.प्र.).	दुवगवां NH पथरहा PMGSY सड़क वाया उर्मलियान टोला मार्ग के निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र.-590-भू-अर्जन-2025.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा (1)12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	दुवगवां	0.372	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स.), संभाग क्र. 1 रीवा, जिला रीवा (म.प्र.).	दुवगवां NH पथरहा PMGSY सड़क वाया उर्मलियान टोला मार्ग के निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र.-608-भू-अर्जन-2025.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा (1)12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	पचपरहा	0.206	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स.), संभाग क्र. 1 रीवा, जिला रीवा (म.प्र.).	तिवनी महमूदपुर से तिवनी गांव टोला पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र.-611-भू-अर्जन-2025.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा (1)12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	सहेबा	0.149	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स.), संभाग क्र. 1 रीवा, जिला रीवा (म.प्र.).	तिवनी महमूदपुर से तिवनी गांव टोला पहुँच मार्ग के निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र.-614-भू-अर्जन-2025.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा (1)12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	तिवनी	2.624	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स.), संभाग क्र. 1 रीवा, जिला रीवा (म.प्र.).	तिवनी महमूदपुर से तिवनी गांव टोला पहुँच मार्ग के निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र.-593-भू-अर्जन-2025.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा (1)12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	चंदेह	0.838	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स.), संभाग क्र. 1 रीवा, जिला रीवा (म.प्र.).	दुवगवां NH पथरहा PMGSY सड़क वाया उर्मलियान टोला मार्ग के निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रीवा, दिनांक 22 दिसम्बर 2025

पत्र क्र.-855-भू-अर्जन-2025.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा (1)12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	रायपुर कर्चुलियान	कोठी	2.007	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स.), संभाग क्र. 1, जिला रीवा (म.प्र.).	रघुराजगढ़ से करियाझार सड़क निर्माण कार्य हेतु

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र.-856-भू-अर्जन-2025.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा (1)12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	रायपुर कर्चुलियान	मानपुर	0.084	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स.), संभाग क्र. 1, जिला रीवा (म.प्र.).	रघुराजगढ़ से करियाझार सड़क निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र.-857-भू-अर्जन-2025.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा (1)12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	दुरौध	0.336	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स.), संभाग क्र. 1, जिला रीवा (म.प्र.).	रघुराजगढ़ से करियाझार सड़क निर्माण कार्य हेतु

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र.-858-भू-अर्जन-2026.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा (1)12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगंवा	खुरहा	0.516	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स.), संभाग क्र. 1, जिला रीवा (म.प्र.).	रघुराजगढ़ से करियाझार सड़क निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 7 जनवरी 2026

पत्र क्र.-1022-भू-अर्जन-2026.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा (1)12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	इटार	1.300	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स.), संभाग क्र. 1, जिला रीवा (म.प्र.).	रघुराजगढ़ से करियाझार सड़क निर्माण कार्य हेतु

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र.-1025-भू-अर्जन-2026.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा (1)12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगंवा	रघुराजगढ़	0.040	कार्यपालन यंत्री, (भवन) लोक निर्माण विभाग रीवा (म.प्र.).	सांदीपनि विद्यालय रघुराजगढ़ (सी.एम. राइज) में निर्माणाधीन विद्यालय परिसर की बाउंड्रीवाल एवं खेल मैदान (रनिंग ट्रैक) निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र.-1026-भू-अर्जन-2026.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा (1)12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	रायपुर कर्चुलियान	देवरा फरेंदा	2.507	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स.), संभाग क्र. 1, जिला रीवा (म.प्र.).	रघुराजगढ़ से करियाझार सड़क निर्माण कार्य हेतु

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र.-1031-भू-अर्जन-2026.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा (1)12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	रायपुर कर्तुलिया	मनिकवार	2.222	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स.), संभाग क्र. 1 जिला रीवा (म.प्र.).	रघुराजगढ़ से करियाझार सड़क निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र.-1034-भू-अर्जन-2026.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा (1)12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ	उमरिहा	0.518	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स.), संभाग क्र. 1, जिला रीवा (म.प्र.).	रघुराजगढ़ से करियाझार सड़क निर्माण कार्य हेतु

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र.-1037-भू-अर्जन-2026.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा (1)12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	उमरिहा	1.398	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स.) संभाग क्र. 1 जिला रीवा (म.प्र.).	रघुराजगढ़ से करियाझार सड़क निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रतिभा पाल, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग पन्ना, दिनांक 6 दिसम्बर 2025

प्र.क्र.-25-अ-82-वर्ष 2025-2026.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	पवई	बराहो	निजी भूमि रकबा 0.775 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.013 हे कुल रकबा 0.788	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत माईनर एवं सब-माईनर नहर निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली भूमि का भू-अर्जन ग्राम बराहो, तहसील व अनुभाग पवई, जिला पन्ना हेतु भूमि का अर्जन धारा 11 का प्रकाशन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग, पन्ना, जिला पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

उषा परमार, कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव.

**कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), एव. सक्षम प्राधिकारी, हरसूद,
जिला-खण्डवा, मध्यप्रदेश**

क्र.-4899-रीडर-1-2025

हरसूद, दिनांक 20 नवम्बर 2025

प्ररूप- "ख"
{नियम-5 का उपनियम (2)}

क्रमांक 0107/ब-121/2025-26 अतएव राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि खण्डवा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत निर्माणाधीन पम्प हाउस क्रमांक -01 से बिछाये जाने वाली भूमिगत राईजिंग मेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर RM1 जल परिवहन हेतु ग्राम - खेडी, प.ह.न.-73, तहसील खालवा, जिला - खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -19, भीकनगांव जिला -खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन 2013) की धारा -3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी हरसूद जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम- खेडी, प.ह.नं. 73	70/4	0.029
			70/3	0.048
			70/1	0.070
			70/2	0.060
			55/1/2	0.127
			55/1/1	0.007

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम- खेडी, प.ह.नं. 73	54/4	0.007
			54/3	0.035
			54/2	0.095
			33/1	0.004
			32/1	0.053
			31/3	0.040
			31/2	0.053
			27/1	0.121
			27/2	0.063
			295/1	0.094
			296/1	0.093
			299/1	0.053
			299/7	0.061
			319/1	0.024
			317	0.053
			316/2	0.024
			312/3	0.020
			312/2	0.027
			312/12	0.004
			312/1	0.039
			312/4	0.043
			311/1	0.073
			311/3	0.029
			311/5	0.022
			310	0.091
			347	0.008
			445/1	0.071
			445/2	0.023
			446	0.023
			458/3	0.084
			458/2	0.051
			458/1/2	0.019
			468/2	0.021
			468/3	0.030
			468/4/1	0.030
			468/7	0.026
			468/8	0.023
			473/1/3	0.021
			473/1/4	0.020
र	र	र	569	0.041
			568/2	0.046
			568/1	0.053
			571	0.036
			578/2	0.141
			468/6	0.030
			578/3	0.038
कुल योग			52	2.399

क्र.-490-रीडर-1-2025

प्ररूप- "ख"

{नियम-5 का उपनियम (2)}

क्रमांक 0106/ब-121/2025-26 अतएव राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि खण्डवा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत निर्माणाधीन पम्प हाउस क्रमांक -01 से बिछाये जाने वाली भूमिगत राईजिंग मेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर RM1 जल परिवहन हेतु ग्राम - मदनी, प.ह.न.-72, तहसील खालवा, जिला - खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -19, भीकनगांव जिला - खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन 2013) की धारा -3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाइन, केबल डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी हरसूद जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम- मदनी, प.ह.नं. 72,	180	0.101
			164	0.010
			163/3	0.025
			163/1	0.032
			161/4	0.014
			161/5	0.038
			161/6	0.021

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम- मदनी, प.ह.नं. 72,	144/1	0.006
			161/7	0.024
			161/8	0.020
			161/9	0.016
			144/2	0.032
			141/6	0.013
			143/6	0.011
			143/7	0.058
			143/8	0.006
			149	0.054
			150	0.008
			151/1	0.059
			104	0.063
			102/1	0.019
			103/3	0.067
			103/2	0.043
			91/3	0.099
			92/2	0.079
			92/1	0.044
			93/3	0.058
			93/4	0.043
कुल योग			28	1.07

आर.सी. खतेडिया, अनुविभागीय अधिकारी एवं सक्षम प्राधिकारी (राजस्व).

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 29 दिसम्बर 2025

प्रकरण क्रमांक 32/अ-82 वर्ष 2024-25 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अंतर्गत प्रारम्भिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्राक्घानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कड़िका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कड़िका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कड़िका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कड़िका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:-

(क) जिला	-	पन्ना
(ख) तहसील	-	देवेन्द्रनगर
(ग) ग्राम	-	भगेपुर
(घ) क्षेत्रफल	-	0.670 हेक्टेयर,

क्रमांक	खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकवा हेक्टेयर में	भूमि का प्रकार
1	2	3	4
1	290	0.020	निजी
2	291	0.020	निजी
3	304	0.010	निजी
4	326	0.060	निजी
5	327ब	0.010	निजी
6	336	0.030	निजी
7	323	0.010	निजी
8	324	0.010	निजी
9	337ब	0.030	निजी
10	338	0.030	निजी
11	371	0.010	निजी
12	373	0.030	निजी
13	374	0.010	निजी
14	370	0.010	निजी
15	409	0.050	निजी
16	410	0.030	निजी
17	454	0.050	निजी
18	466	0.090	निजी
19	488/1	0.060	निजी
20	464	0.040	निजी
21	488/2/1	0.030	निजी
22	488/2/2	0.030	निजी
	योग	0.670	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है :- देवरी तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु छूटे हुए रकबों की भूमि का अर्जन हेतु धारा-19 का प्रकाशन, ग्राम भगेपुर तहसील देवेन्द्रनगर अनुभाग पन्ना।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

उषा परमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 10125-भू-अर्जन-2025

राजगढ़, दिनांक 20 दिसम्बर 2025

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (3) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक ११/अ-82/2025-26 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ व जिला राजगढ़ की ग्राम कलालपुरा के लिए डूब क्षेत्र में शेष वर्णित आबादी के अन्तर्गत छूटे हुए मकान जिसका कृषक वार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित आबादी की भूमि पर स्थित परिसम्पत्ति का सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना का निर्माण पूर्व से चल है एवं इस हेतु अधिकांश मकानों का अर्जन किया जा चुका है धारा-11(3) के प्रावधानों का अनुपालन पूर्व में किया जा चुका है।

--: अनुसूची (1) :-

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित मकान :- ग्राम कलालपुरा

स.क्र.	आबादी का विवरण हे.में.		नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	मकान नम्बर	अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
	आबादी के सर्वे नं.	कुल रकबा			
1	2	3	4		5
1	19	0.430	आबादी		249.00
	1	0.430			249.00

--: अनुसूची (2) :-

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित मकान :- ग्राम कलालपुरा

1	19	0.430	लालसिंह पिता भंवरलाल जाति तंवर	89	151.00
			भंवरलाल पिता खीमाजी जाति तंवर	94	98.00
				योग :-	249.00
				या (हे.में)	0.025

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

गिरीश कुमार मिश्रा, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 26-भू-अर्जन-2026

सतना, दिनांक 5 जनवरी 2026

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर /ग्राम - रौड़

(घ) क्षेत्रफल- 6.3170 हे०

क्र.	भूस्वामी का नाम/पिता का नाम	खसरा नं.	कुल रकवा	अर्जित रकवा	रिमार्क
1	2	4	5	6	7
1	रामकरण पिता कुलइया जाति कुशवाहा पता रौड़ नागौद सतना भूमिस्वामी	1736/2	0.7130	0.1250	
2	सम्पता, विजनेश, कन्धीलाल, संखी, रामहेत, जनकी पुत्री रामकृपाल कुशवाहा पता सतना भूमिस्वामी	1737/3	0.3560	0.0490	
3	मेवालाल पिता छोटकाई जाति काछी पता रौड़ नागौद सतना भूमिस्वामी	1737/4/2	0.1010	0.0720	
4	सुन्दरलाल पिता छोटकाई जाति काछी पता रौड़ नागौद सतना भूमिस्वामी	1737/4/1	0.6160	0.0720	
5	मलखान पिता मनधारी काछी पता सा. पनगरा भूमिस्वामी	1737/6/1	0.2020	0.0580	
6	छेदी पिता शिवधारी काछी पता सा. पनगरा भूमिस्वामी	1737/6/5	0.3040	0.0920	
7	बेदू पिता शिवधारी काछी पता पनगरा सतना भूमिस्वामी	1737/6/4	0.3040	0.0200	
8	खर्चीलाल पिता बिन्दा जाति लोधी पता रौड़ नागौद सतना	1755/1	0.1980	0.0340	
9	खर्चीलाल पिता बिन्दा जाति लोधी पता रौड़ नागौद सतना	1754/1	0.0240	0.0070	
10	मलखान पिता मनधारी काछी पता सा. पनगरा भूमिस्वामी	1739/6/1	0.1090	0.0430	
11	चुनूवादा पिता मनधारी काछी पता सा. पनगरा भूमिस्वामी	1739/6/2	0.1070	0.0280	
12	बेदू पिता शिवधारी काछी पता पनगरा सतना भूमिस्वामी	1739/6/4	0.1620	0.0300	
13	रामकरण पिता कुलइया जाति कुशवाहा पता रौड़ नागौद सतना भूमिस्वामी	1750/10/1	0.1500	0.0570	
14	रजनीश पिता सुन्दर जाति काछी पता पनगरा नागौद	1750/3	0.1090	0.0040	
15	बालगोपाल कुशवाहा पत्नी फल्लू कुशवाहा राजमनी पुत्री फल्लू कुशवाहा पता पनगरा नागौद सतना	1753/2	0.1900	0.0440	
16	रामकरण पिता कुलइया जाति कुशवाहा पता रौड़ नागौद सतना भूमिस्वामी	1751/1	0.0200	0.0040	
17	रामकरण पिता कुलइया जाति कुशवाहा पता रौड़ नागौद सतना	1753/1	0.1900	0.0500	
18	दरबारीलाल पिता मोहनलाल जाति लोधी पता रौड़ नागौद सतना भूमिस्वामी	1829/1/2	0.6880	0.2950	
19	पल्लवी सिंह पुत्री रावेन्द्र सिंह उर्फ रविंदर प्रताप सिंह अनुपम	1833	0.8740	0.1900	

	सिंह पिता रावेन्द्र सिंह उर्फ रविंदर प्रताप सिंह				
20	महेन्द्र सिंह पिता ललन सिंह पता पनगरा सतना भूमिस्वामी	1835	0.8330	0.1920	
21	नथूलाल पिता फूलचंद्र जाति चौरसिया पता पनगरा नागौद सतना भूमिस्वामी	1839	0.2100	0.0570	
22	नथूलाल पिता फूलचंद्र जाति चौरसिया पता पनगरा नागौद सतना भूमिस्वामी	1837	0.2540	0.0110	
23	कुन्जा पिता भवनिया जाति काछी पता पनगरा सतना भूमिस्वामी	1823	0.7290	0.0500	
24	कुन्जा पिता भवनिया जाति काछी पता पनगरा सतना भूमिस्वामी	1824/3	0.0810	0.0070	
25	कामता प्रसाद पिता रामलखन जाति ब्राम्हण पता रौड नागौद	1846/2	0.5670	0.2010	
26	कामता प्रसाद पिता रामलखन जाति ब्राम्हण पता रौड नागौद	1847	0.0970	0.0110	
27	रामकिशोर पिता रामसखा ब्रा. पता रौड नागौद भूमिस्वामी	1848/2/1	0.3190	0.1190	
28	रामसुभाष वल्द रामसखा ब्रा. पता रौड नागौद भूमिस्वामी	1848/2/2	0.3560	0.1080	
29	राजकुमार पिता खर्चीलाल जाति लोधी पता रौड नागौद	1853/1	0.2750	0.0720	
30	चन्द्रमणी पिता खर्चीलाल जाति लोधी पता रौड नागौद	1853/2	0.2750	0.0720	
31	बृजेन्द्र भारती पिता रामनरेश भारती जाति लोधी पता रौड नागौद भूमिस्वामी	1853/4	0.2750	0.0250	
32	चन्द्रमणी पिता खर्चीलाल जाति लोधी पता रौड नागौद	1854/2	0.0360	0.0090	
33	रामबिहारी पिता परमेश्वरदीन जाति ब्रा. पता नागौद सतना	1883/1/1	0.9310	0.1800	
34	राकेश कुमार पिता महेन्द्र कुमार पांडेय पता रौड नागौद भूमिस्वामी	1883/2/23	0.6000	0.0820	
35	रामशिरोमणि, तारा, रामहेत, संतकुमार, मुन्नी पिता रामकिशोर पांडेय पता रौड नागौद भूमिस्वामी	1883/2/10	1.2590	0.0090	
36	रामशिरोमणि, तारा, रामहेत, संतकुमार, मुन्नी पिता रामकिशोर पांडेय पता रौड नागौद भूमिस्वामी	1886/1	0.1210	0.0920	
37	कृष्णाबाई पत्नी अर्जुन प्रसाद तिवारी पता नागौद सतना	1920/1	0.2800	0.0800	
38	अर्जुन प्रसाद पिता जयराम जाति ब्रा. पता रौड नागौद भूमिस्वामी	1920/2	0.2220	0.0800	
39	पैसुनी कुमार पिता गया प्रसाद जाति ब्राम्हण पता रौड नागौद	1919	0.4450	0.0720	
40	सुरेश कुमार पिता जुगलकिशोर राकिशोर पिता देवमूरत कुसुमकली बेवा जुगलकिशोर अवधेश कुमार पिता जुगलकिशोर जाति ब्राम्हण पता रौड नागौद भूमिस्वामी	1928	0.3360	0.0220	
41	रामसुख, रामनिरन्जन, अवधेश, रामनिवास, रामप्यारे पिता रामानन्दी जाति ब्राम्हण पता रौड नागौद भूमिस्वामी	1943/1	0.2140	0.0040	
42	चन्द्रवती पत्नी भगवत प्रसाद पाण्डेय पता रौड नागौद भूमिस्वामी	1929	0.3760	0.1040	
43	चन्द्रवती पत्नी भगवत प्रसाद पाण्डेय पता रौड नागौद भूमिस्वामी	1942/1	0.2830	0.0720	
44	किशोरीबाई बेवा जमुना प्रसाद रामकुमार मिश्रा पिता जमुना प्रसाद सुनीता पांडेय पुत्री जमुना प्रसाद सरिता द्विवेदी पुत्री जमुना प्रसाद श्रवण कुमार मिश्रा पिता जमुना प्रसाद पता रौड नागौद भूमिस्वामी	1942/2	0.2430	0.0380	
45	विजय कुमार पिता हरलाल ब्रा. पता रौड नागौद भूमिस्वामी	1941	0.2830	0.0600	
46	कुंवर बहादुर पिता जमुना प्रसाद जाति ब्राम्हण पता रौड नागौद	1931	0.2270	0.0040	
47	लीला देवी बेवा जगताराम बृजेन्द्र कुमार, सुरेन्द्र कुमार पिता जगताराम ब्रा. पता रौड नागौद भूमिस्वामी	1947/2	0.1440	0.0580	

48	सीताराम पिता रामऔतार जाति ब्राम्हण पता रौड नागौद भूमिस्वामी	1949	0.2510	0.0240	
49	लीला देवी बेवा जगताराम बृजेन्द्र कुमार, सुरेन्द्र कुमार पिता जगताराम ब्रा. पता रौड नागौद भूमिस्वामी	1950	0.2060	0.0600	
50	श्रीलेखा पुत्री धीरेन्द्र कुमार अनीत पाण्डेय बेवा धीरेन्द्र कुमार आकांक्षा, मृदूला पुत्री धीरेन्द्र कुमार पाण्डेय पता रौड नागौद भूमिस्वामी	1951/1	0.3320	0.1220	
51	मृत्युन्जय पिता ज्ञानेन्द्र प्रसाद जाति ब्राम्हण पता रौड नागौद सतना भूमिस्वामी	1951/2/1	0.1660	0.0720	
52	नागेन्द्र कुमार पिता चन्द्रकुमार नाबा. सर. बाबा रामनारायण ब्रा. पता सा. देह	1964	0.2100	0.0430	
53	रामचंद्र पिता चंद्रमान जाति ब्राम्हण पता रौड नागौद भूमिस्वामी	2334	0.0530	0.0080	
54	मिथलेश कुमार पिता राजकिशोर जाति ब्राम्हण पता रौड नागौद	2367	0.2430	0.0530	
55	राजाबाबू पांडेय पिता माखनलाल पता रौड नागौद भूमिस्वामी	2370/1	0.3070	0.0820	
56	सुनील कुमार पांडेय पत्नी दिनेश प्रसाद पता रौड नागौद भूमिस्वामी	2121	0.6150	0.2320	
57	सुनील कुमार पांडेय पत्नी दिनेश प्रसाद पता रौड नागौद भूमिस्वामी	2122	0.1620	0.0090	
58	मिथलेश कुमार पिता राजकिशोर जाति ब्राम्हण पता रौड नागौद	2358/1/2	0.3560	0.0100	
59	बैजनाथ पिता ज्वालाप्रसाद जाति ब्राम्हण पता रौड नागौद	2123/2	0.6070	0.0930	
60	कुशलेश पिता ज्वाला प्रसाद जाति ब्राम्हण पता रौड नागौद	2123/1	0.6550	0.0830	
61	कुशलेश पिता ज्वाला प्रसाद जाति ब्राम्हण पता रौड नागौद	2129/2	0.0210	0.0080	
62	मुन्नीलाल, रामनारायण पिता लालजी देवरती बेवा लालजी जाति ब्राम्हण पता रौड नागौद	2125/1	0.6200	0.2570	
63	मुन्नीलाल पिता लालजी जाति ब्राम्हण पता रौड नागौद	2352/2	0.0240	0.0090	
64	रामभरोसा पिता बहोरीलाल जाति ब्राम्हण पता रौड नागौद	2254	0.0610	0.0040	
65	रामभरोसा पिता बहोरीलाल जाति ब्राम्हण पता रौड नागौद	2255	1.6960	0.0020	
66	लीला देवी बेवा जगताराम बृजेन्द्र कुमार, सुरेन्द्र कुमार पिता जगताराम ब्रा. पता रौड नागौद भूमिस्वामी	2253/2/1	0.3680	0.1010	
67	कुंवर बहादुर पिता जमुना प्रसाद जाति ब्राम्हण पता रौड नागौद	2253/2/2	0.3680	0.1300	
68	बेवा गिरजा प्रसाद भाईलाल रामदयाल देवेन्द्र कुमार संतोष पिता गिरजा प्रसाद केशरी सभाराज पिता राजाभइया जगरानी बेवा राजाभइया जानकी देवी बेवा रामसुरेश हर्षवर्धन आशुतोष सविता पिता रामसुरेश ब्रा. पता रौड नागौद	2253/3/1	0.5890	0.0040	
69	रामेश्वर पिता सीताराम जाति ब्राम्हण पता रौड नागौद	2253/1/2	0.3650	0.0100	
70	सालिगराम पिता रामऔतार जाति ब्राम्हण पता रौड नागौद	2253/1/1	0.7330	0.1500	
71	सालिगराम पिता रामऔतार जाति ब्राम्हण पता रौड नागौद	2252/1	0.1050	0.0090	
72	राजाबाबू पांडेय पिता माखनलाल पता रौड नागौद भूमिस्वामी	2263/2/2	0.4690	0.0250	
73	राजाबाबू पांडेय पिता माखनलाल पता रौड नागौद भूमिस्वामी	2264/2/2	0.0400	0.0070	
74	ठाकुर प्रसाद पिता गोरेलाल जाति ब्राम्हण पता रौड	2265/3	0.5990	0.2200	
75	ठाकुर प्रसाद पिता गोरेलाल जाति ब्राम्हण पता रौड	2266/1	0.0240	0.0070	
76	राकेश कुमार पिता रामसहोदर जाति ब्राम्हण पता रौड नागौद	2267/1	0.9950	0.1580	

77	सुनीता, सियासखी, श्यामसखी अनीता पिता गंगा प्रसाद केशरबाई बेवा गंगा प्रसाद जाति ब्राम्हण पता रौड नागौद सतना भूमिस्वामी	2267/2/1	0.4940	0.0850	
78	सुनीता, सियासखी, श्यामसखी अनीता पिता गंगा प्रसाद केशरबाई बेवा गंगा प्रसाद जाति ब्राम्हण पता रौड नागौद सतना भूमिस्वामी	2268/2/1	0.0240	0.0020	
79	राकेश कुमार पिता रामसहोदर जाति ब्राम्हण पता रौड नागौद सतना भूमिस्वामी	2268/1	0.0400	0.0070	
80	ज्ञानेन्द्र कुमार पिता रामनारायण जाति ब्राम्हण पता रौड नागौद	2298/2	0.8090	0.1940	
81	बंशीधर गर्ग पिता जगमोहन जाति ब्राम्हण पता रौड नागौद	2298/1	0.8100	0.0650	
82	बंशीधर गर्ग पिता जगमोहन ब्रा. पता रौड नागौद सतना	2299/1	0.0200	0.0070	
83	बाबूलाल पिता नवल किशोर जाति ब्राम्हण पता रौड नागौद	2296	1.0190	0.1650	
84	बाबूलाल पिता नवल किशोर जाति ब्राम्हण पता रौड नागौद	2295	0.0850	0.0090	
85	अर्जुन प्रसाद पिता हीरामन जाति ब्रा. पता रौड नागौद भूमिस्वामी	2276/3	0.1820	0.0790	
86	अशोक, राजेन्द्र, सुशील पिता बाला प्रसाद पुनिया बेवा बाला प्रसाद जाति ब्राम्हण पता रौड नागौद	2276/2	0.5460	0.0790	
87	चुनुवादा पिता तीरथ प्रसाद जाति ब्राम्हण पता रौड नागौद	2277	0.5910	0.0400	
88	चुनुवादा पिता तीरथ प्रसाद जाति ब्राम्हण पता रौड नागौद	2279	0.1010	0.0100	
89	बाबूलाल पिता नवल किशोर जाति ब्राम्हण पता रौड नागौद	2278	0.5510	0.0080	
90	अखिलेश पिता रामनारायण जाति ब्राम्हण पता रौड नागौद	2294/4	0.2760	0.0510	
91	मु. झल्ली बेवा सिपाहीलाल खर्चीलाल इन्द्रजीत असफीलाल, राजकिशोर, कल्ली पिता सिपाहीलाल लोधी पता सा. उरदना	2280/2/3	0.3110	0.1150	
92	मुसिया पत्नी श्याम बिहारी गायत्री, परमलाल, मीरा पिता श्यामबिहारी लोधी पता उरदना कला नागौद सतना	2280/2/1	0.2510	0.1100	
93	मुसिया पत्नी श्याम बिहारी गायत्री, परमलाल, मीरा पिता श्यामबिहारी लोधी पता उरदना कला नागौद सतना	2281/2	0.0200	0.0090	
94	गिरजा वोडा लोधी पता सा. देह भूमिस्वामी	2280/1/2	0.1820	0.0520	
95	दादूमाई, राजाभैया पिता इन्द्रजीत लोधी पता चित्तौधा नागौद	2282	0.9790	0.0370	
	योग			6.3170	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद, जिला—सतना म.प्र. द्वारा नागौद—सतना शाखा नहर खम्हरिया माइनर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला—सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 62-भू-अर्जन-2026

सतना, दिनांक 16 जनवरी 2026

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान

(ग) नगर /ग्राम - तपा कोठार

(घ) क्षेत्रफल- 1.1520 हे०

क्र	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नंबर	अर्जित रकवा (हे०)
1	धीरेन्द्र सिंह पिता हीरा सिंह बेलकईत सिंह तपा	200/5	0.0059
2	श्यामराज सिंह पिता रामेश्वर सिंह सा० बगहाई	197/2	0.0317
3	शुभमती पत्नी भोला सिंह सा० बगहाई	197/7/1	0.0100
4	धीरेन्द्र सिंह पिता जयकरण सिंह बेलकईत सा० तपा	204/1/4	0.0014
		203/1/5	0.0040
		198/1/5	0.0265
5	कौशल सिंह पिता जयकरण सिंह बेलकईत सा० तपा	204/1/1	0.0014
		203/1/1	0.0040
6	केशवप्रताप सिंह पिता मंगलेश्वर सिंह परिहार सा० तपा	182/2/2	0.0170
7	गंगा सिंह पत्नी संजय सिंह, साक्षी सिंह, शुभम सिंह पिता संजय सिंह बेलकईत सिंह तपा	200/4	0.0060
8	विजय सिंह पिता गया सिंह सा० बगहाई	197/4	0.0317
9	विजय सिंह पिता जयकरण सिंह बेलकईत सा० तपा	204/1/2	0.0014
		203/1/2	0.0040
		198/1/2	0.0265
10	दिगेश सिंह पिता राजभान सिंह बेलकईत सा० तपा	199/2/4	0.0408
11	दिगेश सिंह, भइयाबहादुर सिंह, अरुण सिंह, रमेश सिंह पिता राजभान सिंह बेलकईत सा० तपा	203/2	0.0054
		198/2	0.1211
12	विश्वनाथ सिंह पिता रामेश्वर सिंह सा० बगहाई	197/3	0.0317
13	विजय बहादुर सिंह पिता गया सिंह सा० बगहाई	197/5	0.0317
14	विजय सिंह पिता हीरा सिंह बेलकईत सिंह तपा	200/2	0.0059
15	विनायक पिता रामकृपाल ब्राम्हण सा० बगहाई	197/7/2	0.0217
16	भइयाबहादुर सिंह पिता राजभान सिंह बेलकईत सा० तपा	199/2/1	0.0409
17	रमेश बहादुर पिता राजमणि ब्रा० सा० बगहाई	182/1/2/1	0.0600

18	भोगी पत्नी राजमणि ब्राम्हण सा0 बगहाई	182/1/2	0.0300
19	प्रदीप सिंह पिता गया सिंह सा0 बगहाई	197/6	0.0317
20	रंजीत सिंह पिता मंगलेश्वर सिंह परिहार सा0 तपा	182/2/3	0.0170
21	रमेश सिंह पिता राजमान सिंह बेलकईत सा0 तपा	199/2/3	0.0408
22	रामनेवारा सिंह पिता जयकरण सिंह बेलकईत 21 सा0 तपा	203/1/4	0.0040
		198/1/4	0.0265
23	रामराज सिंह पिता रामेश्वर सिंह सा0 बगहाई	197/1	0.0317
24	राजकुमारी वेवा बहादुर सिंह, उपेन्द्र सिंह, भूपेन्द्रपिता बहादुर सिंह बेलकईत सा0 तपा	204/1/3	0.0015
		203/1/3	0.0040
		198/1/3	0.0265
25	रेखा सा0 पत्नी छत्रपाल सिंह सा0 रामपुर बाघेलान	244/4	0.0068
26	सुखेन्द्र सिंह पिता हीरा सिंह बेलकईत सिंह तपा	200/3	0.0059
27	सरुण सिंह पिता राजमान सिंह बेलकईत सा0 तपा	19.9/2/2	0.0408
28	संशुमान सिंह पिता सुदर्शन सिंह, गीता सिंह वेवा उदयरज सिंह, पुष्पेन्द्र सिंह, धीरेन्द्र सिंह, ज्ञानेन्द्र सिंह पिता उदयरज सिंह, रामप्यारी सिंह वेवा रणबहादुर सिंह, राजकुमार सिंह, लालमन सिंह, लालबिहारी सिंह, राजेन्द्र सिंह, बीरेन्द्र सिंह, नारेन्द्र सिंह पिता रणबहादुर सिंह, कृष्णादेवी सिंह वेवा राजबहादुर सिंह, विजय कुमार नावा0 पिता राजबहादुर सिंह बली सर0मों कृष्णा देवी सिंह, बृजेन्द्र सिंह पिता यादवेन्द्र सिंह, ददन सिंह पिता सूर्यबली सिंह, प्रदीप सिंह, दिलीप सिंह, राधा सिंह पिता बबन सिंह बेलकईत सा0 तपा	181/1	0.1085
29	समर्थ प्रताप सिंह पिता भरत प्रताप सिंह सा0 रामपुर बाघेलान	244/2	0.0130
30	समर्थ प्रताप सिंह पिता भरत प्रताप सिंह सा0 रामपुर बाघेलान हि0 4381/6179 खुशबू सिंह पत्नी अमित सिंह सा0 बगहाई हि0 4385/6179 सीमा सिंह पत्नी लवकुश सिंह सा0 पिथेपुर हि0 4386/6179 रेखा सिंह पत्नी छत्रपाल सिंह सा0 रामपुर बाघेलान हि0 4387/6179	245	0.0759
31	समयराज सिंह पिता मंगलेश्वर सिंह परिहार सा0 तपा	182/2/1	0.0170
32	रंजीत सिंह पिता भोला सिंह सा0 बगहाई	197/8	0.0324
33	समराध सिंह वेवा सतेन्द्र सिंह, आयुष सिंह, आशू सिंह पिता सतेन्द्र सिंह लक्ष्म ठाकुर पत्नी कौशल सिंह, सोनू सिंह पिता कौशल सिंह बेलकईत सा0 तपा	198/1/1	0.0265
34	गीता सिंह वेवा उदयरज सिंह, पुष्पेन्द्र सिंह, धीरेन्द्र सिंह, ज्ञानेन्द्र सिंह पिता उदयरज सिंह, रामप्यारी वेवा जयपाल सिंह, भैयालाल सिंह, हीरानाज सिंह पिता हरदयाल सिंह, कृष्णादेवी सिंह वेवा राजबहादुर सिंह, विजय कुमार नावा0 पिता राजबहादुर सिंह बली सर0 मों कृष्णा देवी सिंह, प्रदीप सिंह, दिलीप सिंह, राधा सिंह पिता रामराज सिंह, ददन सिंह पिता सूर्यबली सिंह बेलकईत सा0 तपा	182/1/1	0.0599
35	संस्कृतीय	196	0.0210
कुल योग			1.1521

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- उपमुख्य अभियंता (निर्माण) जबलपुर (म0प्र0) द्वारा सतना रीवा बड़ी रेल लाइन दोहरीकरण के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सतीश कुमार एस., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 746868-भू-अर्जन-2026

छिन्दवाड़ा, दिनांक 18 जनवरी 2026

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2 मध्य प्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग वल्लभ भवन-III डी विंग प्रथम तल भोपाल का प्रशासकीय स्वीकृति आदेश पत्र क्रमांक एफ-31-06/2020/सत्ताईस-एक भोपाल, दिनांक 06/08/2021 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।" अत अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	तामिया	ग्राम-पावई प0ह0न0-08, ब.न.-98, रा.नि.म.-दलाखारी	रकबा-01.473 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-जुन्नारदेव जिला-छिन्दवाड़ा	दुग्धी परियोजना के अंतर्गत दुग्धी बांध से दूब प्रभावित क्षेत्र के लिये निजी भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.chhindwara.nic.in एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-जुन्नारदेव जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, रानी अवंती बाई लोधी सागर नहर संभाग कं0 2 गोटेगांव जिला नरसिंहपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी रानी अवंती बाई लोधी सागर बॉयी तट नहर अनुभाग बगासपुर जिला नरसिंहपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 746870-भू-अर्जन-2026

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितवद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. मध्य प्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग वल्लभ भवन-111, डी विंग प्रथम तल भोपाल का प्रशासकीय स्वीकृति आदेश पत्र क्रमांक एफ-31-06/2020/सत्ताईस-एक भोपाल, दिनांक 06/08/2021 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।" अत अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	तामिया	ग्राम-पौड़ी प0ह0-70-09, ब.न.-105, रा.नि.म.-देलाखारी	रकबा-0.627 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियाँ।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-जुन्नारदेव जिला-छिन्दवाड़ा	दुग्धी परियोजना के अंतर्गत दुग्धी बांध से डूब प्रभावित क्षेत्र के लिये निजी भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.chhindwara.nic.in एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-जुन्नारदेव जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, रानी अवंती बाई लोधी सागर नहर संभाग कं0 2 गोटेगांव जिला नरसिंहपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी रानी अवंती बाई लोधी सागर बोंधी तट नहर अनुभाग बगासपुर जिला नरसिंहपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 746872-भू-अर्जन-2026

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितवद् व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. मध्य प्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग वल्लभ भवन-111 डी विंग प्रथम तल भोपाल का प्रशासकीय स्वीकृति आदेश पत्र क्रमांक एफ-31-06/2020/सत्ताईस-एक भोपाल, दिनांक 06/08/2021 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत "सिवाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।" अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	तामिया	ग्राम-खुनिया प0ह0न0-06, ब.न.-32, रा.नि.म.-देलाखारी	रकबा-8.726 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियाँ।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-जुन्नारदेव जिला-छिन्दवाड़ा	दुग्धी परियोजना के अंतर्गत दुग्धी बांध से खूब प्रभावित क्षेत्र के लिये निजी भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद् कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.chhindwara.nic.in एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-जुन्नारदेव जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, रानी अवंती बाई लोधी सागर नहर संभाग कं0 2 गोटेगांव जिला नरसिंहपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी रानी अवंती बाई लोधी सागर बाँयी तट नहर अनुभाग बगासपुर जिला नरसिंहपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद् कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 746892-भू-अर्जन-2026

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2 मध्य प्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग वल्लभ भवन-III डी विंग प्रथम तल भोपाल का प्रशासकीय स्वीकृति आदेश पत्र क्रमांक एफ-31-06/2020/सत्ताईस-एक भोपाल, दिनांक 06/08/2021 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।" अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	तामिया	ग्राम-कैवलारी प0ह0न0-09, ब.न.-20, रा.नि.मं.-देलाखारी	रकबा-103.231 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-जुन्नारदेव जिला-छिन्दवाड़ा	दुग्धी परियोजना के अंतर्गत दुग्धी बांध से डूब प्रभावित क्षेत्र के लिये निजी भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.chhindwara.nic.in एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-जुन्नारदेव जिला छिंदवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, रानी अवंती बाई लोधी सागर नहर संभाग कं0 2 गोटेगांव जिला नरसिंहपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी रानी अवंती बाई लोधी सागर बॉयी तट नहर अनुभाग बगासपुर जिला नरसिंहपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिंदवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 746894-भू-अर्जन-2026

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. मध्य प्रदेश शासन: नर्मदा घाटी विकास विभाग वल्लभ भवन-111 डी विंग प्रथम तल भोपाल का प्रशासकीय स्वीकृति आदेश पत्र क्रमांक एफ-31-06/2020/सत्ताईस-एक भोपाल, दिनांक 06/08/2021 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत 'सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।' अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	तामिया	ग्राम-खमतरा प0ह0न0-10, ब.न.-26, रा.नि.मं.-देलखारी	रकबा-13.709 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियाँ।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-जुन्नारदेव जिला-छिन्दवाड़ा	दुग्धी परियोजना के अंतर्गत दुग्धी बांध से दूब प्रभावित क्षेत्र के लिये निजी भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.chhindwara.nic.in एव www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-जुन्नारदेव जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, रानी अवंती बाई लोधी सागर नहर संभाग कं0 2 गोटेगांव जिला नरसिंहपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी रानी अवंती बाई लोधी सागर बोंयी तट नहर अनुभाग बगासपुर जिला नरसिंहपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के सम्मुख प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हरेंद्र नारायण, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 518-रा.प्र.क्र.-0022-अ-82-2025-26

उज्जैन, दिनांक 20 जनवरी 2026

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-01 कालम कें (1) से (4) में वर्णित भूमि कि अनुसूची के कालम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक होने कि सम्भावना है।

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेक्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील खाचरोद जिला उज्जैन के ग्राम कंचनखेंड़ी की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृशकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक -2 में उल्लेखित है।

अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है की निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल है. में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
1	2	3	4	5	6
उज्जैन	खाचरोद	कंचनखेंड़ी	0.590	संभागीय प्रबंधक म. प्र.सड़क विकास निगम उज्जैन (म.प्र)	उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेक्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल

अनुसूची-2 (प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा (हे.में)	प्रभावित रकबा है. में	अर्जित भूमि का प्रकार
01	02	03	04	05	06
1	सत्यनारायण पिता नानूराम धाकड़ निवासी खाचरोद	503	0.590	0.090	सिंचित
2	प्रभुलाल पिता रामरतन धाकड़ निवासी कंचनखेंड़ी	503/578	0.230	0.035	सिंचित
3		491	1.050	0.085	सिंचित
4	भैरूलाल पिता रामरतन धाकड़ निवासी कंचनखेंड़ी	472/1	1.190	0.180	सिंचित
5	गोवर्धलाल पिता लक्ष्मीनारायण धाकड़ निवासी कंचनखेंड़ी	470	1.540	0.175	सिंचित
6	दीपक पिता मांगीलाल धाकड़ निवासी कंचनखेंड़ी	95/1	0.460	0.025	सिंचित
कुल रकबा				0.590	

चूँकि उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेक्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, तहसील खाचरोद, जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 520-रा.प्र.क्र.-0004-अ-82-2025-26

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013
(क्रमांक 30 सन् 2013) अन्तर्गत धारा-19

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-01 कॉलम के (1) से (4) में वर्णित भूमि कि अनुसूची के कॉलम (5) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है।

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में हरिफाटक रेलवे ओवर ब्रिज 4-लेन का ईपीसी मॉडल पर निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु जिला चण्डीन तहसील चण्डीननगर के ग्राम कस्बा चण्डीन की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है, आवश्यक है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल है. में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
1	2	3	4	5	6
चण्डीन	चण्डीन नगर	कस्बा चण्डीन	0.070	संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम चण्डीन(म.प्र.)	चण्डीन जिले की तहसील चण्डीन नगर में हरिफाटक रेलवे ओवर ब्रिज 4-लेन का ईपीसी मॉडल पर निर्माण

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	खसरा न.	कुल रकबा हेक्टर.में	प्रभावित रकबा हेक्टर.में	अर्जित भूमि का प्रकार
01	02	03	04	05	06
1	जीवन पिता शंकर शेखर बबली रेखा पिता लक्ष्मीचंद विद्याबाई बेवा लक्ष्मीचंद संजू दिनेश संगीता सुनीता पिता रमेश सरोज बेवा मुकेश राहुल अंकुश नीतू मोनिका पिता मुकेश दीपबाई बेवा दशरथ लोकेश धर्मेन्द्र अनीता पिता दशरथ प्राप्ति पाट पता चण्डीन नगर चण्डीन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी	2347/1	0.1724	0.048	निजी
2	श्रीमती मीना पुरोहित पति दीपक पुरोहित कुश पुरोहित पिता दीपक पुरोहित पता सी 333 विदेकानन्द नगर चण्डीन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी	2347/2	0.0056	0.002	निजी
3	बालचंद पिता विनायक परमानंद पिता विनायक दौलतराम पिता विनायक गोरखन पिता विनायक पता कस्बा चण्डीन, चण्डीन नगर भूमिस्वामी, पुष्कर पिता नन्दाशम पता निवासी 108 बेगमपुरा कस्बा चण्डीन, चण्डीन नगर भूमिस्वामी	2349/1 2349/2	0.2000 0.0090	0.020	निजी
योग				0.070	

हरिफाटक रेलवे ओवर ब्रिज 4-लेन निर्माण कार्य हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील चण्डीन नगर, जिला चण्डीन के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 522-रा.प्र.क्र.-0021-अ-82-2025-26

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रस्तावित भूमि अर्जन अनुसूची क्रमांक-01 कालम के (1) से (4) में वर्णित भूमि कि अनुसूची के कालम (6) में उल्लेखित नगर के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक होने कि सम्भावना है।

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील खाचरोद जिला उज्जैन के ग्राम बुरानाबाद की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक -2 में उल्लेखित है।

अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है की निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल है. में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
1	2	3	4	5	6
उज्जैन	खाचरोद	बुरानाबाद	0.550	संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम उज्जैन (म.प्र.)	उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा (हे.में)	प्रभावित रकबा है. में	अर्जित भूमि का प्रकार
01	02	03	04	05	06
1	विनोद पिता रमेशचंद जाति धाकड़ निवासी मढावलिया	944/1	0.400	0.064	सिंचित
2	संदीप पिता बाबूलाल जाति ब्राह्मण निवासी खाचरोद	943	0.420	0.078	सिंचित
3	विजया पति बाबूलाल जाति ब्राह्मण निवासी उज्जैन	952	3.090	0.095	सिंचित
4	सुनीता शर्मा पति गणेश शर्मा पता उज्जैन	940/2	0.066	0.153	सिंचित
5	सुनीता शर्मा पति गणेश शर्मा पता उज्जैन	945	0.021	0.070	सिंचित
6	हेमलता निवाल पति पंकज निवाल पता उज्जैन	946/1/1	0.180	0.052	सिंचित
7	हेमलता निवाल पति पंकज निवाल पता उज्जैन	946/1/2	0.200	0.037	सिंचित
8	ओमप्रकाश पिता लक्ष्मीनारायण जाति धाकड़ निवासी खाचरोद	946/2	0.790	0.001	सिंचित
			कुल रकबा	0.550	

चूँकि उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, तहसील खाचरोद, जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 523-रा.प्र.क्र.-0020-अ-82-2025-26

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-01 कालम के (1) से (4) में वर्णित भूमि कि अनुसूची के कालम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक होने कि सम्भावना है।

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील खाचरोद जिला उज्जैन के ग्राम चौकी जुनादा की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृशकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक -2 में उल्लेखित है।

अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है की निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित रकबा क्षेत्रफल है. में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
1	2	3	4	5	6
उज्जैन	खाचरोद	चौकी जुनादा	1.480	संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम उज्जैन (म.प्र)	उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा (हे.में)	प्रभावित रकबा है. में	अर्जित भूमि का प्रकार
01	02	03	04	05	06
1	रतनलाल पिता पूना जाति बलाई निवासी चौकी जुनादा	574	0.840	0.070	सिंचित
2	अनीताबाई गट्टाबाई पुत्री बापू रतन पुत्र पूना, पीरूलाल पुत्र बापू सजनबाई पुत्री पूना, नर्मदाबाई पत्नी लक्ष्मण, संजय कुमार जैन पुत्र मांगीलाल जैन,	421	0.840	0.173	सिंचित
3	रामबक्ष पुत्र पूना, राजाराम पुत्र बापू रणछोड़ पुत्र लक्ष्मण, अयोध्याबाई पत्नी बापू, रम्भाबाई तेजाबाई	422	1.040	0.106	सिंचित
4	बसंताबाई पुत्री लक्ष्मण खाचरोद, अय्यूब खान पिता याकूब खान चम्बल मार्ग नागदा भूमि स्वामी	423	1.010	0.200	सिंचित

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा (हे.मै.)	प्रभावित रकबा हे. मै.	अर्जित भूमि का प्रकार
01	02	03	04	05	06
5		424	1.200	0.191	सिंचित
6	बालू पिता माना जाति गुर्जर पता चौकी जुनादा	429/2	1.280	0.104	सिंचित
7		428/2	0.300	0.065	सिंचित
8		315/1	0.920	0.004	सिंचित
9	बापू पिता स्वरूप, तेजा पिता स्वरूप, यशोदा पिता स्वरूप, रुगनाथ पिता स्वरूप, मोहन पिता स्वरूप, लक्ष्मी पिता स्वरूप, हुडीबाई बेवा स्वरूप, चौकी जुनादा	429/1	1.110	0.127	सिंचित
10		428/1	0.480	0.130	सिंचित
11	खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश	315/2	0.930	0.077	सिंचित
12	सुनिलकुमार शर्मा पिता राधाचरण कांटीवली ईस्ट मुम्बई, अनिलकुमार शर्मा पिता राधाचरण कमलेश शर्मा पति अनिलकुमार शर्मा 246 जवाहर मार्ग खाचरोद	325/1	0.200	0.015	व्यवसायिक
13		325/2	0.350	0.028	व्यवसायिक
14	लक्ष्मण पिता नंदा जाति बलाई निवासी चौकी जुनादा	420	0.440	0.024	सिंचित
15	जानीबाई पिता शंकरलाल लीलाबाई पिता रामचंद्र अम्बाराम पिता शंकरलाल गीताबाई पिता रामचंद्र नर्मदाबाई पिता रामचंद्र भागीरथ पिता वक्ता सुमनबाई पिता रामचंद्र वर्दिबाई बेवा रामचंद्र हीरालाल पिता कालू जी सीताराम पिता लालजी मोहनलाल पिता नानूराम चंदाबाई पिता रामचंद्र सुगनबाई पिता कालू जी सुन्दरबाई पिता लालजी नरसिंह पिता लालजी तुलसाबाई पिता कालू जी सम्पतबाई पिता रामचंद्र रामबक्श पिता लाल जी लक्ष्मीनारायण पिता नागु जी चौकी जुनादा खाचरोद भूमि स्वामी	419	0.830	0.014	सिंचित
16	बापू मोहन व रुगनाथ पिता स्वरूप जाति गुर्जर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	427	0.230	0.027	सिंचित
17	प्रफुल्लकुमार पिता गोकुलचंद जाति ब्राह्मण पता कोटा राजस्थान भूमि स्वामी	410/2	0.060	0.022	सिंचित
18	रमेश चंद्र शर्मा पिता श्रवण लाल शर्मा जाति ब्राह्मण पता चौकी जुनादा भूमि स्वामी	410/1	0.020	0.006	सिंचित
19	नर्मदाबाई पति लक्ष्मण जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	411	0.040	0.006	सिंचित
20	यश निगम पिता राजेन्द्र निगम जाति कायस्थ पता खाचरोद भूमि स्वामी	409	0.050	0.003	सिंचित
21	पंकज पिता चांदमल जैन जाति जैन पता खाचरोद उज्जैन भूमि स्वामी	326/2/1	0.2553	0.014	सिंचित
22	फरीदाबानो पति मोहम्मद जाफर जाति मुसलमान पता खाचरोद उज्जैन भूमि स्वामी	326/2/2	0.0697	0.008	सिंचित
23	रतन पिता माना जाति गुर्जर पता खाचरोद उज्जैन भूमि स्वामी	313/1	0.370	0.066	सिंचित
			कुल रकबा	1.480	

चूंकि उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेक्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, तहसील खाचरोद, जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 512-रा.प्र.क्र.-103-अ-82-2024-25

भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013
(कमांक 30 सन् 2013) अन्तर्गत धारा-19

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक-01 कॉलम के (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कॉलम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है।

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक-01 में सेवरखेडी-सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत बैराज निर्माण से आंशिक डूब क्षेत्र हेतु तहसील उज्जैन ग्रामीण जिला उज्जैन के ग्राम भंवरी की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची कमांक-02 में है, आवश्यक है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 (कमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -02 की भूमि की अनुसूची -01 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

—: अनुसूची -01 :-

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हे.में	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन को उद्देश्य
1	2	3	4	5	6
उज्जैन	उज्जैन ग्रामीण	भंवरी	3.42	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग उज्जैन	सेवरखेडी-सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत बैराज निर्माण से आंशिक डूब क्षेत्र हेतु।

अनुसूची-2
(प्रभावित धारकों की सूची)

स.क्र.	भूमिस्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे. मे.	प्रभावित रकबा हे. मे.	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1	मनोज पिता बाबूलाल जाति ब्राह्मण पता उज्जैन	2/1	1.86	0.19	

स.क	भूमिस्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे. मे.	प्रभावित रकबा हे. मे.	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
2	रामलखन पिता बाबूलाल जाति ब्राह्मण पता उज्जैन	2/2	0.41	0.01	
		6/1	0.55	0.04	
	योग	2	0.96	0.05	
3	अशोक पिता जगदीश जाति ब्राह्मण पता उज्जैन	3/1	1.21	0.06	
		6/2	0.55	0.08	
	योग	2	1.76	0.14	
4	अर्जुन शर्मा पिता जगदीश जाति ब्राह्मण पता उज्जैन	3/2	1.04	0.10	
5	प्रेमनारायण पिता बगदीराम जाति ब्राह्मण पता उज्जैन	9	1.14	0.08	
6	ज्योति कुशवाह पति अनिल कुशवाह, ममता पति सुनील पता उज्जैन	10/1	0.85	0.03	
		10/2	0.85	0.02	
	योग	2	1.70	0.05	
7	राजेश पिता बगदीराम जाति ब्राह्मण पता भंवरी उज्जैन	11	1.95	0.33	
8	श्यामुबाई बेवा मदनलाल जाति ब्राह्मण पता उज्जैन	23/1	0.97	0.07	
		23/2	0.97	0.18	
	योग	2	1.94	0.25	
9	रमेश पिता बद्रीलाल जाति गारी पता उज्जैन	29	0.73	0.27	
		31/1/1	0.24	0.05	
	योग	2	0.97	0.32	

स.कं	भूमिस्वामी का नाम पिता का नाम नियाम स्थान	खरारा नम्बर	कुल रकबा हे. मे.	प्रभावित रकबा हे. मे.	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
10	मंसूर पिता दरवेश पटेल	31/2	0.03	0.02	
11	मुकेश पिता दत्तुलाल पता नरवर उज्जैन	37	1.15	0.26	
12	बाबू पिता दौला पता उज्जैन	38	1.24	0.05	
13	आत्माराम पिता दौला पता उज्जैन	39	0.58	0.03	
14	सत्यनारायण पिता बद्रीलाल जाति ब्राह्मण पता उज्जैन	62/1/1	0.11	0.04	
15	प्रभुलाल पिता बद्रीलाल पता उज्जैन	62/1/2	0.09	0.04	
		66/1	0.02	0.02	
	योग	2	0.11	0.06	
16	राजूबाई पुत्री हीरालाल, रतनबाई बेवा हीरालाल जाति ब्राह्मण पता उज्जैन	62/2	0.13	0.08	
17	रामचन्द्र, कैलाश पिता देवजी पता भंवरी उज्जैन	67	0.06	0.02	
18	बाबू पिता परमानंद पता उज्जैन	68	0.23	0.08	
19	बाबूलाल पिता भागीरथ जाति ब्राह्मण पता उज्जैन	141/1	0.20	0.11	
20	अनिलकुमार पिता गजानंद पता उज्जैन	141/2/1	0.30	0.05	

स.क.	भूमिस्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे. मे.	प्रभावित रकबा हे. मे.	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
21	शंकर, इन्दर पिता धूला, श्यामूबाई, गहूबाई पिता धूला, सोनू, नाबा पिता शिवनारायण, अनिता, कुसुम नाबा पिता शिवनारायण, कबाई बेवा शिवनारायण, सरमाता, कलाबाई बेवा हि पिता शिवनारायण, आत्माराम, बाबू, भगवान पिता दौला हि पता उज्जैन	141/2/2	1.09	0.12	
22	सुनीता शर्मा पति रामलाल, राजेश पिता नागूलाल, मानवी शर्मा पिता रामलाल पता भंवरी उज्जैन	144	1.40	0.08	
23	मुकेश पिता बट्टीलाल पता भंवरी उज्जैन	145/1	0.99	0.05	
24	राकेश पिता बट्टीलाल जाति ब्राह्मण पता उज्जैन	145/2	0.52	0.05	
25	श्रीलाल पिता रतनलाल पता उज्जैन	147	0.58	0.06	
26	बनवारी पिता रामलाल जाति ब्राह्मण पता भंवरी उज्जैन	148/1	0.29	0.07	
27	राहुल पिता लीलाधर पता लोहागल सांवेर, इन्दौर	148/2	0.29	0.07	
28	उस्मान पिता मोहम्मद जाति नायता पता उज्जैन	150/1/1	0.30	0.10	
		150/1/3	0.28	0.02	
	योग	2	0.58	0.12	
29	मुकेश पिता रामलाल जाति ब्राह्मण पता उज्जैन	160	0.59	0.05	
30	रतनलाल पिता समन्दर, मनोज पिता वासुदेव जाति ब्राह्मण पता उज्जैन	161	0.57	0.03	

स.कं.	भूस्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे. मे.	प्रभावित रकबा हे. मे.	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
31	जगदीश पिता भागीरथ जाति ब्राह्मण पता भंवरी उज्जैन	163/2	0.37	0.02	
32	लाडकुंवरबाई पति अशोक पता भंवरी उज्जैन	166/1	0.12	0.05	
		167/1	0.32	0.03	
	योग	2	0.44	0.08	
33	जगदीश पिता शिवनारायण पता उज्जैन	166/2	0.10	0.02	
		167/2	0.68	0.14	
	योग	2	0.78	0.16	
34	कैलाशलाल पिता पूजाजी जाति ब्राह्मण पता उज्जैन	171	0.18	0.02	
35	बसन्तीबाई पत्नी हीरालाल पता भंवरी उज्जैन	179	0.42	0.03	
36	संजय चौधरी पिता भुवानजी पता देवराखेड़ी खुर्द उज्जैन	180/1	0.08	0.03	
		180/2	0.09	0.02	
	योग	2	0.17	0.05	
37	चंदरमोहन, छोगालाल पुत्रगण अमर, राकेश, जीतेन्द्र, रेखा, सीमा उर्फ पवित्रा, निर्मल पिता गङ्गूलाल, भागवंताबाई, दयावबाई पुत्री अमरा, प्रकाश पिता बद्रीलाल पता उज्जैन	181/2/1	0.45	0.03	
38	दरियावबाई पत्नी मोहन जाति चमार	181/3	0.27	0.02	
	योग			3.42	

रोवरखेड़ी-सिलारखेड़ी परियोजना के अंतर्गत बैराज निर्माण से आंशिक दूध क्षेत्र हेतु हितयुक्त व्यक्तियों की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) का अवलोकन कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उज्जैन में किसी भी कार्य दिवस को कार्यालयीन समय के दौरान देखा जा सकता है।

क्र. 513-रा.प्र.क्र.-106-अ-82-2024-25

भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013
(कमांक 30 सन् 2013) अन्तर्गत धारा-19

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक-01 कॉलम के (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कॉलम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है।

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक-01 में सेवरखेडी-सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत बैराज निर्माण से आंशिक डूब क्षेत्र हेतु तहसील उज्जैन ग्रामीण जिला उज्जैन के ग्राम आलमपुरा (उडाना) की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची कमांक-02 में है, आवश्यक है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 (कमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -02 की भूमि की अनुसूची -01 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

-: अनुसूची -01 :-

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल है.में	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन को उद्देश्य
1	2	3	4	5	6
उज्जैन	उज्जैन ग्रामीण	आलमपुरा (उडाना)	0.58	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग उज्जैन	सेवरखेडी-सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत बैराज निर्माण से आंशिक डूब क्षेत्र हेतु।

अनुसूची-2
(प्रभावित धारकों की सूची)

सं क्र	भूमिस्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	खसरा नम्बर	कुल रकबा है. मे.	प्रभावित रकबा है. मे.	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
	शंकर पुत्र गीताबाई, श्यामूबाई, भवरीबाई, कमलाबाई पुत्री गीताबाई पता ग्राम उज्जैन	319	0.40	0.02	

स.क.	भूमिस्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे. मे.	प्रभावित रकबा हे. मे.	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
2	प्रदीप, वासुदेव, आनंदीलाल पिता तोलाराम पता ग्राम उज्जैन	320	0.02	0.02	
3	मनोज जोशी पिता स्व रामगोपाल जोशी पता 112 बैराठी कॉलोनी इंदौर	321	0.35	0.05	
4	बाबू पिता पुन्जा पता उज्जैन	457	0.20	0.02	
5	इश्वर पिता बनेसिंह, राहुल पिता बनेसिंह, सीताबाई पति बनेसिंह जाति कीर पता उज्जैन	458/1/2	0.40	0.04	
6	ओमप्रकाश पुत्र कचरु पता आलमपुर उड़ाना उज्जैन	458/1/3/2	0.13	0.01	
7	जीवन नायर पुत्र धन्नालाल, गिरवर नायर पुत्र धन्नालाल, लक्ष्मण नायर पुत्र धन्नालाल जाति कीर पता आलमपुर उड़ाना, उज्जैन	458/2	0.40	0.01	
		458/3	0.40	0.07	
	योग	2	0.80	0.08	
8	शालिनी पति अजय खंडेलवाल पता उज्जैन	497/2/1	0.07	0.04	
9	रुचिनीमा पति परेश पता उज्जैन	497/2/2	0.07	0.02	
10	अजयकुमार, सुरेशकुमार, हृषद्वारा, अजय खण्डेलवाल पिता सुरेश पता पत्रकार कालोनी इंदौर	499/2/1/1	0.56	0.03	
11	परेशकुमार, नीमाहृषद्वारा कर्ता परेशनीमा पिता जवाहरलाल पता विजयनगर इन्दौर	499/2/1/2	0.56	0.05	
12	दीपक जोशी पिता सीताराम पता श्रीकांत पैलेस, इंदौर	499/2/2	0.40	0.04	
13	तेजू पिता भेरा पता उज्जैन	500	0.45	0.07	
		507	0.37	0.09	
	योग	2	0.82	0.16	
	महायोग			0.58	

सेक्टरखेड़ी-सिलारखेड़ी परियोजना के अंतर्गत बैराज निर्माण से आंशिक रूप से हेतु हितयुक्त व्यक्तियों की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) का अवलोकन कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उज्जैन में किसी भी कार्य दिवस को कार्यालयीन समय के दौरान देखा जा सकता है।

क्र. 514-रा.प्र.क्र.-0105-अ-82-2024-25

भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013
(कमांक 30 सन् 2013) अन्तर्गत धारा-19

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक-01 कॉलम के (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कॉलम (8) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है।

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक-01 में सेवरखेडी-सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत बैराज निर्माण से आंशिक डूब क्षेत्र हेतु तहसील उज्जैन ग्रामीण जिला उज्जैन के ग्राम सेमल्यानसर की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची कमांक-02 में है, आवश्यक है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 (कमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -02 की भूमि की अनुसूची -01 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

-: अनुसूची -01 :-

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल है. में	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन को उद्देश्य
1	2	3	4	5	6
उज्जैन	उज्जैन ग्रामीण	सेमल्यानसर	0.81	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग उज्जैन	सेवरखेडी-सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत बैराज निर्माण से आंशिक डूब क्षेत्र हेतु।

अनुसूची-2
(प्रभावित धारकों की सूची)

स.क.	भूमिस्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	खसरा नम्बर	कुल रकबा है. मे.	प्रभावित रकबा है. मे.	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1	विष्णुकुंवर पत्नी दिलीपसिंह जाति राजपूत पता उज्जैन	444	3.95	0.05	

सं क्र	भूधिरयागी का नाम पिता का नाम भित्ति रथान	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे मे	प्रमाणित रकबा हे मे	रिमाज
1	2	3	4	5	6
2	राजेन्द्रसिंह पिता रघुवीरसिंह पता सेमल्यानसर, उज्जैन	445/2/2	1.23	0.03	
3	सोहनसिंह पिता रतनसिंह पता उज्जैन	446/1	1.76	0.02	
4	धीरजसिंह पिता रतनसिंह पता सेमल्यानसर, उज्जैन	448/2	2.00	0.03	
		455/1	1.78	0.18	
	योग	2	3.78	0.21	
5	अजयपालसिंह पिता भगवानसिंह जाति राजपूत पता उज्जैन	451/1	0.50	0.03	
6	विजेन्द्रसिंह पिता भगवानसिंह जाति राजपूत पता उज्जैन	453/2	1.67	0.01	
7	जालमसिंह पिता लालसिंह पता उमरिया जागीर उज्जैन	455/2	0.20	0.01	
8	समर्थपाल सिंह पिता ईश्वरसिंह जाति राजपूत पता उज्जैन	457/3/2	0.21	0.02	
		458	0.55	0.02	
		459/1	0.11	0.01	
	योग	3	0.87	0.05	
9	अकितराज सिंह पिता ईश्वरसिंह जाति राजपूत पता उज्जैन	459/2	0.44	0.02	
		460/1	0.44	0.02	
	योग	2	0.88	0.04	

स. कं.	भूमिस्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे. मे.	प्रभावित रकबा हे. मे.	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
10	भारतसिंह पिता रघुवीरसिंह जाति राजपूत पता सेमल्यानसर उज्जैन	460/2	0.12	0.01	
		461	0.55	0.02	
		462	0.67	0.04	
		464/2/2	0.20	0.02	
		464/3	0.60	0.02	
	योग	5	2.14	0.11	
11	जगदीश पिता चम्पालाल पता नरवर उज्जैन	464/1	1.35	0.12	
12	जयराम पिता चम्पालाल पता सेमल्यानसर उज्जैन	464/2/1	0.90	0.02	
13	कमलाबाई पत्नी जगदीश जाति चमार पता उज्जैन	465	1.16	0.04	
14	मांगीलाल पिता रमेश पता उज्जैन	466/501/1/2	0.80	0.04	
15	बनेसिंह पिता राजाराम, बाबु पिता राजाराम पता नरवर उज्जैन	473	0.86	0.03	
	योग			0.81	

सेवरखेडी-सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत बैराज निर्माण से आंशिक ड्यू क्षेत्र हेतु हितवद्ध व्यक्तियों की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) का अवलोकन कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उज्जैन में किसी भी कार्य दिवस को कार्यालयीन समय के दौरान देखा जा सकता है।

क्र. 515-रा.प्र.क्र.-0001-अ-82-2025-26

भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013
(कमांक 30 सन् 2013) अन्तर्गत धारा-19

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि सलग्न अनुसूची कमांक-01 कॉलम के (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कॉलम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है।

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक-01 में सेवरखेडी-सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत बैराज निर्माण से आंशिक डूब क्षेत्र हेतु तहसील उज्जैन ग्रामीण जिला उज्जैन के ग्राम खोकरिया की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची कमांक-02 में है, आवश्यक है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 (कमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -02 की भूमि की अनुसूची -01 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

-: अनुसूची -01 :-

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हे. में	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन को उद्देश्य
1	2	3	4	5	6
उज्जैन	उज्जैन ग्रामीण	खोकरिया	2.18	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग उज्जैन	सेवरखेडी-सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत बैराज निर्माण से आंशिक डूब क्षेत्र हेतु।

अनुसूची-2
(प्रभावित धारकों की सूची)

स.क्र.	भूमिस्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे. में	प्रभावित रकबा हे. में	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1	दौलत पिता मोहम्मद पता खोकरिया उज्जैन	2	0.30	0.25	

स. क्र.	भूमिस्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे. मे.	प्रभावित रकबा हे. मे.	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
2	बाबू पिता इमामी पता खोकरिया उज्जैन	3/1/1	0.85	0.06	
3	उस्मान पिता मोहम्मद रमजू पिता मोहम्मद सरदार पिता मोहम्मद सिकन्दर पिता मोहम्मद दौलत पिता मोहम्मद एहमदनूर पिता मोहम्मद खातूनबाई बेया मोहम्मद पता खोकरिया उज्जैन	3/1/2	0.39	0.08	
4	आरिफ पिता उस्मान पता खोकरिया उज्जैन	3/2	0.45	0.12	
5	आशिक पिता बाबू उर्फ सिकन्दर जाति नायता पता खोकरिया उज्जैन	3/3	0.35	0.08	
6	इस्लाम पिता मांगीलाल पता खोकरिया उज्जैन	4/1	0.43	0.14	
7	शौकत पिता मांगीलाल पता खोकरिया उज्जैन	4/2	0.42	0.10	
8	शरीफ पिता सोहराब पता खोकरिया उज्जैन	9/1	0.35	0.05	
9	दिलावर पिता गनी पता खोकरिया उज्जैन	9/2/1	0.53	0.10	
10	शोएब पिता शरीफ पता खोकरिया उज्जैन	10	0.17	0.03	
11	मुंशी पिता रहमतअली पता खोकरिया उज्जैन	13/1	0.56	0.05	
12	अलीमोहम्मद पिता रहमतअली पता खोकरिया उज्जैन	13/2	0.56	0.05	
13	नाना पिता कासम पता खोकरिया उज्जैन	14/1	0.24	0.08	

स.कं.	भूमिस्यामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे. मे.	प्रभावित रकबा हे. मे.	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
14	अल्लानूर पिता पिरा पता खोकरिया उज्जैन	14/2	0.24	0.06	
		16/370	0.57	0.02	
		173/1	0.06	0.06	
	योग	3	0.81	0.14	
15	अब्बास पिता छीता पता खोकरिया उज्जैन	15	0.25	0.06	
		16/372	0.26	0.02	
	योग	2	0.51	0.08	
16	मुमताज पत्नी सिकंदर पता खोकरिया उज्जैन	16/371	0.19	0.02	
17	अमीना पिता अशरफअली पता खोकरिया उज्जैन	16/373	0.25	0.03	
18	आजाद पटेल पिता अशरफ पटेल पता खोकरिया उज्जैन	22	0.21	0.02	
19	कमाल पटेल पिता पिरा पता खोकरिया उज्जैन	22/374	0.17	0.03	
		173/2	0.06	0.06	
	योग	2	0.23	0.09	
20	अमन नाबालिग पिता शरीफ संरक्षक शरीफ नायता पता खोकरिया उज्जैन	34/2	1.06	0.11	
21	सिकंदर पिता रईस पता खोकरिया उज्जैन	43	0.18	0.02	
		46	0.76	0.02	
	योग	2	0.94	0.04	
22	रईसाबाई पति मुबारिक जाति नायता पता खोकरिया उज्जैन	47/2	0.10	0.10	
23	सिकंदर पिता मोहम्मद पता खोकरिया उज्जैन	48	0.59	0.10	

स.क.	भूमिस्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे. मे.	प्रभावित रकबा हे. मे.	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
24	यूनुस पिता नूरमोहम्मद बबलू पिता नूरमोहम्मद पता खोकरिया उज्जैन	340/3	0.40	0.02	
		343	0.36	0.05	
	योग	2	0.76	0.07	
25	अनार पिता गुलजी पता खोकरिया उज्जैन	341/1	0.20	0.02	
26	अजगर पिता गुलजी पता खोकरिया उज्जैन	342/4	0.08	0.02	
		356/2	0.34	0.03	
	योग	2	0.42	0.05	
27	दिलावर पिता बशीर, शरीफ पिता अकबर, फारुक पिता बाबू पता खोकरिया उज्जैन	354/1	0.13	0.02	
28	शेरमोहम्मद पिता अल्लाबेली पता खोकरिया उज्जैन	354/2	0.14	0.03	
29	फारुक पटेल पिता मांगीलाल इस्लाम पटेल पिता मांगीलाल पता उज्जैन	355/1	0.25	0.03	
30	अंजुम पिता सिकंदर बबलू पिता सिकंदर पता खोकरिया उज्जैन	355/2	0.17	0.02	
		356/1	0.08	0.02	
	योग	2	0.25	0.04	
	महायोग			2.18	

सेवरखेडी-सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत बैराज निर्माण से आंशिक डब क्षेत्र हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) का अवलोकन कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उज्जैन में किसी भी कार्य दिवस को कार्यालयीन समय के दौरान देखा जा सकता है।

क्र. 516-रा.प्र.क्र.-0104-अ-82-2024-25

भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013
(कमांक 30 सन् 2013) अन्तर्गत धारा-19

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक-01 कॉलम के (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कॉलम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है।

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक-01 में सेवरखेडी-सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत बैराज निर्माण से आंशिक डूब क्षेत्र हेतु तहसील उज्जैन ग्रामीण जिला उज्जैन के ग्राम निकेवडी की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची कमांक-02 में है, आवश्यक है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 (कमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -02 की भूमि की अनुसूची -01 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

-: अनुसूची -01 :-

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल है. में	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन को उद्देश्य
1	2	3	4	5	6
उज्जैन	उज्जैन ग्रामीण	निकेवडी	0.32	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग उज्जैन	सेवरखेडी-सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत बैराज निर्माण से आंशिक डूब क्षेत्र हेतु।

अनुसूची-2
(प्रभावित धारकों की सूची)

स.कं.	भूमिस्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	खसरा नम्बर	कुल रकबा है. मे.	प्रभावित रकबा है. मे.	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1	बबीता पति इसलाम, अलताफ पिता इसलाम, अलफेज पिता इसलाम, फिरदोस पिता इसलाम, साना पिता इसलाम पता निकेवडी उज्जैन	4	0.58	0.02	

स.कं	भूमिस्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे. मे.	प्रभावित रकबा हे. मे.	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
2	गोरधनसिंह पिता भेरुसिंह पता उज्जैन	13/2/1	0.54	0.03	
3	विक्रमसिंह पिता भेरुसिंह, संजूबाई पिता विक्रमसिंह, मंजुकुंवर पिता विक्रमसिंह, सुनिता पिता विक्रमसिंह पता निकेवड़ी उज्जैन	13/2/2	0.26	0.03	
4	एहसान पिता यासीन पता उज्जैन	144/3	1.20	0.03	
5	अय्यूब पिता न्याजमोहम्मद पता उज्जैन	150/1	0.16	0.03	
6	यूनूस पिता न्याजमोहम्मद पता उज्जैन	150/2	0.16	0.03	
7	पप्पू पिता न्याजमोहम्मद पता उज्जैन	150/3	0.16	0.04	
8	आजाद पिता न्याजमोहम्मद पता उज्जैन	150/4	0.16	0.03	
9	सलीम पिता न्याजमोहम्मद पता उज्जैन	150/5	0.16	0.03	
10	सलीम पिता रहमतअली भाग एक बटाचार अंसार आबिद पिता गनि, जुलीबाई, बानोबाई पिता गनि, इशाक, ईशुफ, मुबारिक, दिलावर, शरीफ, आजाद पिता रमजु, जुबेदा पति मांगू आरिफ, अमजद, शैजाद पिता मांगू, सेजादबी पिता दौलत, अरबअली, हीनाबी पिता दौलत तीन बटाचार जाति नायता पता बिलोदा सांवेर उज्जैन (म.प्र.)	150/7	2.65	0.05	
	योग			0.32	

सेयरखेडी-सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत बैराज निर्माण से आंशिक डूब क्षेत्र हेतु हितवद्द व्यक्तियों की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) का अवलोकन कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उज्जैन में किसी भी कार्य दिवस को कार्यलयीन समय के दौरान देखा जा सकता है।

क्र. 517-रा.प्र.क्र.-102-अ-82-2024-25

भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013
(कमांक 30 सन् 2013) अन्तर्गत धारा-19

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक-01 कॉलम के (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कॉलम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है।

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक-01 में सेवरखेडी-सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत बैराज निर्माण से आंशिक डूब क्षेत्र हेतु तहसील उज्जैन ग्रामीण जिला उज्जैन के ग्राम कासमपुर की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची कमांक-02 में है, आवश्यक है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 (कमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -02 की भूमि की अनुसूची -01 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

—: अनुसूची -01 :-

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल है. में	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन को उद्देश्य
1	2	3	4	5	6
उज्जैन	उज्जैन ग्रामीण	कासमपुर	1.26	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग उज्जैन	सेवरखेडी-सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत बैराज निर्माण से आंशिक डूब क्षेत्र हेतु।

अनुसूची-2
(प्रभावित धारकों की सूची)

स.क्र.	भूमिस्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	खसरा नम्बर	कुल रकबा है. मे.	प्रभावित रकबा है. मे.	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1	अरिफ पिता बाबू, अफजल पिता बाबू, अशकर पिता बाबू पता कासमपुर उज्जैन	19/3	0.29	0.01	

स.क.	भूमिस्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे. मे.	प्रमाणित रकबा हे. मे.	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
2	जहागीर पिता नजीर पता कासमपुर उज्जैन	363/1	0.55	0.09	
3	खाजू पिता बापू पता कासमपुर उज्जैन	363/2	0.39	0.07	
		364/1	0.56	0.06	
	योग	2	0.95	0.13	
4	यासीन पुत्र रहमतअली, सिकन्दर पुत्र रहमतअली, इस्लाम पुत्र रहमतअली, आजाद पिता मुबारिक, शेजाद पुत्री मुबारिक, रईसाबी पति मुबारिक पता कासमपुरा उज्जैन	364/2	0.38	0.04	
5	इरशाद पिता नबीबक्ष पता कासमपुर उज्जैन	365/1/1	0.30	0.02	
6	कमाल पिता नबीबक्ष पता कासमपुर उज्जैन	365/1/2	0.29	0.02	
7	उस्मान पिता ताजमोहम्मद जाति नायता पता कासमपुर उज्जैन	365/2	0.82	0.04	
8	अलीमोहम्मद पिता ताजमोहम्मद जाति नायता पता कासमपुर उज्जैन	365/3	0.36	0.02	
9	सफीमोहम्मद पिता गनी, सलीम पिता गनी, रशीद पिता रईस, हमीद पिता रईस पता कासमपुर उज्जैन	366	1.82	0.18	
10	इकबाल पिता बशीर, फारुख पिता कमाल, आजाद पिता कमाल पता कासमपुर उज्जैन	367	2.20	0.26	
11	हुराबाई पति मांगीलाल, भादरसिंह पिता मांगीलाल पता कासमपुर उज्जैन	383	2.63	0.13	
12	मुख्तियार पिता इस्माईल पता कासमपुर उज्जैन	384/1	0.23	0.07	
13	गुलमोहम्मद पिता इस्माईल पता कासमपुर उज्जैन	384/2	0.90	0.13	
14	कदीर पिता नूरमोहम्मद पता कासमपुर उज्जैन	386	1.15	0.06	
15	फिरोज पिता मुशी पता कासमपुर उज्जैन	393/1	0.60	0.04	
16	बेगमबी पटेल पति फारुख जाति नायता पता कासमपुर	393/3	0.15	0.02	
	योग			1.26	

सेवरखेडी-सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत बैराज निर्माण से आंशिक डूब क्षेत्र हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है।

भूमि से संबंधित जवशा (प्लान) का अवलोकन कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उज्जैन में किसी भी कार्य दिवस को कार्यालयीन समय के दौरान देखा जा सकता है।

क्र. 530-रा.प्र.क्र.-101-अ-82-2024-25

भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013
(कमांक 30 सन् 2013) अन्तर्गत धारा-19

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक-01 कॉलम के (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कॉलम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है।

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक-01 में सेवरखेडी-सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत बैराज निर्माण से आंशिक डूब क्षेत्र हेतु तहसील उज्जैन ग्रामीण जिला उज्जैन के ग्राम देवराखेडी की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची कमांक-02 में है, आवश्यक है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 (कमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -02 की भूमि की अनुसूची -01 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

—: अनुसूची -01 :-

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हे. में	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन को उद्देश्य
1	2	3	4	5	6
उज्जैन	उज्जैन ग्रामीण	देवराखेडी	0.34	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग उज्जैन	सेवरखेडी-सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत बैराज निर्माण से आंशिक डूब क्षेत्र हेतु।

अनुसूची-2
(प्रभावित धारकों की सूची)

स.क्र.	भूमिस्वामी का नाम पिता या नाम निवास स्थान	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे. मे.	प्रभावित रकबा हे. मे.	रिमांक
1	2	3	4	5	6
1	अरबअली पिता एहमदनूर निवासी खोकरिया जाति नायता पता देवराखेडी उज्जैन	4	0.68	0.05	
2	अजीज पटेल पिता एहमदनूर जाति नायता निवासी खोकरिया जाति नायता पता देवराखेडी उज्जैन	5	0.24	0.04	
3	श्री महादेव मन्दिर स्थित ग्राम भूमि स्वामी, व्यवस्थापक कलेक्टर जिला महोदय जिला उज्जैन देवस्थान	7	0.37	0.17	
		8	0.30	0.01	
		योग	2	0.67	0.18
4	सिकन्दर पिता मोहम्मद पता खोकरिया उज्जैन	10	0.73	0.07	
	योग			0.34	

सेवरखेडी-सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत बैराज निर्माण से आंशिक डूब क्षेत्र हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) का अवलोकन कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उज्जैन में किसी भी कार्य दिवस को कार्यलयीन समय के दौरान देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रोशन कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

**कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), एवं सक्षम प्राधिकारी, बड़वाह,
जिला खरगोन, मध्यप्रदेश**

प.क्र.-345-री-1-2026

बड़वाह, दिनांक 20 जनवरी 2026

प्रारूप- "ख"

[नियम-5 का उपनियम (2) देखिए]

क्रमांक- 0169/B-121/2025-26 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, खरगोन "बृहद ताप विद्युत परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम :- बालाबाद, प.ह.नं. 72, रा.नि.मं.-03, कानापुर, तहसील -सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) मध्यप्रदेश राज्य में वर्षिष्ठ प्रबंधक (यांत्रिकी उत्थापन), एन.टी.पी.सी. लिमिटेड खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोगता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, बड़वाह, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	सनावद	ग्राम :- बालाबाद, प.ह.नं. 72,	16/1	1.050
			16/2	0.051
			17/1	0.530
			19	0.160
			20/3	0.195
			20/1	0.140
			21	0.100
			109/1	0.208
			108/2	0.230
			76/1	0.160
			108/1	0.043
			76/2	0.190
			108/3	0.153
			77/1	0.024
			75/1	0.095
			75/2	0.090
			74	0.080
			92/2	0.010
			92/1/1	0.090
			95/1	0.090
			95/2	0.195
कुल योग			21	3.884

प.क्र.-407-री-1-2026-रा.प्र.क्र.-0132-बी-121-2025-26

प्ररूप- "घ"

[नियम-6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोगता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 3880 /री-1/2025, बड़वाड़, दिनांक 30.10.2025 द्वारा, राज्य सरकार ने एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, खरगोन "बृहद ताप विद्युत परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम- बिराली, प.ह.नं.-30, रा.नि. मं.-02, सनावद, तहसील- सनावद, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोगता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 07.11.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगनों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	सनावद	ग्राम— बिराली, प.ह.नं.—30,	176/1/1	0.050
			176/1/2	0.095
			182/1	0.095
			177/6	0.258
			176/6	0.193
			177/1	0.225
			173/4	0.095
			173/5	0.020
			173/3	0.150
			173/12	0.130
			173/1	0.100
			171/2	0.233
			167/2	0.048
			167/3	0.215
			166/5	0.473
			19/6	0.020
			19/3	0.010
			19/2	0.410
			8/1	0.238
			8/2	0.112
			17/3	0.174
			17/4	0.200
			13/4	0.290
कुल योग			23	3.834

प.क्र.-410-री-1-2026-रा.प्र.क्र.-0142-बी-121-2025-26

प्ररूप- "घ"

[नियम-6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 4047 /री-1/2025, बड़वाह, दिनांक 12.11.2025 द्वारा, राज्य सरकार ने एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, खरगोन "वृहद ताप विद्युत परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम -गोराड़िया, प.ह.नं.-74, रा. नि.मं.-बेड़िया, तहसील -सनावद, जिला - खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 14.11.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	सनावद	ग्राम --गोराड़िया, पं.ह.नं.-74,	7/7	0.205
			7/6	0.250
			12/3	0.176
			10	0.090
			9/6	0.045
			9/5	0.045
			9/4	0.050
			9/3	0.055
			9/2	0.053
			9/1	0.110
			8/2	0.165
			8/3	0.340
			17/1	0.125
			4/3	0.130
कुल योग			14	1.839

प.क्र.-413-री-1-2026-रा.प्र.क्र.-0149-बी-121-2025-26

प्ररूप- "घ"

[नियम-6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 4196 /री-1/2025, बड़वाह, दिनांक 28.11.2025 द्वारा, राज्य सरकार ने एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, खरगोन "बृहद ताप विद्युत परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम :- बागदा खुर्द, प.ह.नं. 23, रा.नि.मं.-बेड़िया, तहसील -सनावद, जिला - खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 28.11.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	सनावद	ग्राम :- बागदा खुर्द, प.ह.नं. 23,	69/5	0.085
			69/4	0.212
			69/13	0.025
			69/12	0.315
			69/11	0.200
			69/2	0.170
			69/7	0.092
			72/1/1	0.165
			15/1	0.180
			15/2	0.190
			15/3	0.380
			कुल योग	2.014

सत्यनारायण दरौ, अनुविभागीय अधिकारी एवं सक्षम प्राधिकारी (राजस्व).

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**

(देखिए धारा 11)

क्र. 78-अ.वि.अ.-भू-अर्जन-2025-रा.मा.क्र.0009-अ-82-2025-26

नरसिंहपुर, दिनांक 15 जनवरी 2026

चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में कार्यपालन यंत्री रानी अवंती बाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर को नर्मदा नदी पर चिनकी बोरस बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये डूब क्षेत्र हेतु भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

सर्व संबंधित को यह सूचित किया जाता है कि चिनकी बोरस बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति (EC Identification NO.- EC23B000MP119529) को राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा दिनांक- 30.01.2023 प्रदाय की गई है। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 की उपधारा-2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में जहां पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की प्रक्रिया की तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षा की जाती, सामाजिक प्रभाव निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

अनुसूची-1

1. परियोजना का नाम : चिनकी बोरस बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना।

1. भूमि का विवरण

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 2. जिला | : नरसिंहपुर |
| 3. तहसील | : साईखेड़ा |
| 4. ग्राम | : कैलकच्छ |
| 5. प.ह.नं. | : 11 |
| 6. नं.ब. | : 271 |
| 7. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | : 11.114 हे. |

अनुसूची- 2

क्र.	हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	अर्जित रकबा हे. में
1	2	3	4	5
1.	श्री देवरामचंद्र जी मंदिर कैलकच्छ सरवराहकार राममहेश पिता सुखराम ब्रा पता कैलकच्छ साईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश निजी संस्था	भूमिस्वामी	71(S)	0.160
			34(S)	0.340

			43(S)	0.233
2.	रेवासिंह पिता रघुवीर सिंह जाति राजपूत पता कैलकच्छ गाडरवारा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	भूमिस्वामी	69(S)	0.004
3.	मेहरबान सिंह पिता प्रेमसिंह जाति राजपूत पता कैलकच्छ साईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	भूमिस्वामी	67(S)	0.004
4.	पहलवान सिंह पिता मुल्लू सिंह जाति राजपूत पता कैलकच्छ साईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	भूमिस्वामी	15/1(S) 16/1 17 18/1	0.121
5.	कोमल पिता चुन्नीलाल जाति राजपूत पता साईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	भूमिस्वामी	15/2/1 (S)	0.065
6.	नारायण पुत्र केहरसिंह जाति राजपूत पता कैलकच्छ साईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	भूमिस्वामी	15/3(S)	0.012
7.	भावसिंह पिता नर्मदासिंह, जसमन सिंह पिता नर्मदासिंह जाति राजपूत पता कैलकच्छ साईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	भूमिस्वामी	12(S)	0.430
8.	नेपाल सिंह पिता शंकरसिंह जाति राजपूत पता खैरूआ साईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	भूमिस्वामी	10(S) 11	0.470
9.	संतोष पिता त्रिभुवन सिंह जाति राजपूत पता कैलकच्छ साईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश प्रेमबाई पुत्री उमेद सिंह जाति राजपूत पता कैलकच्छ साईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश शीलाबाई पुत्री उमेद सिंह जाति राजपूत पता कैलकच्छ साईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश कृष्णपाल पिता त्रिभुवन सिंह जाति राजपूत पता कैलकच्छ साईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश शिवाबाई पुत्री उमेद सिंह जाति राजपूत पता कैलकच्छ साईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	भूमिस्वामी	20/2(S)	0.100
			8/2(S)	0.196

	ललताबाई बेवा गजेन्द्र सिंह जाति राजपूत उमेद सिंह जाति राजपूत पता कैलकच्छ साईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश विजयबाई पुत्री उमेद सिंह जाति राजपूत पता कैलकच्छ साईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश राजकुमार पिता त्रिभुवन सिंह जाति राजपूत पता कैलकच्छ साईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश कौशलीबाई पुत्री त्रिभुवन सिंह जाति राजपूत पता कैलकच्छ साईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश महेन्द्र सिंह पिता त्रिभुवन सिंह जाति राजपूत पता कैलकच्छ साईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश मनोरमाबाई पुत्री त्रिभुवन सिंह जाति राजपूत पता कैलकच्छ साईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश अखलेश पिता त्रिभुवन सिंह जाति राजपूत पता कैलकच्छ साईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश		6(S)	0.214
10.	केहरसिंह पिता खेतसिंह जाति राजपूत पता साईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश रामसिंह पिता खेतसिंह जाति राजपूत पता साईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश राजेन्द्रसिंह पिता खेतसिंह जाति राजपूत पता साईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	भूमिस्वामी	8/1 (S)	0.688
11.	रामवती बेवा पन्नालाल जाति नौरिया , गनेश पिता पन्नालाल जाति नौरिया , राधेश्याम पिता पन्नालाल जाति नौरिया , भूरीबाई पुत्री पन्नालाल जाति नौरिया, लखन पिता पन्नालाल जाति नौरिया पता कैलकच्छ साईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	भूमिस्वामी	3(S) 4	0.022
12.	सुप्यार पिता मोहन जाति राजपूत, इन्द्रनारायण पिता मोहन जाति राजपूत पता कैलकच्छ साईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश , अतरसिंह पिता मोहन जाति राजपूत पता खैरूआ साईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	भूमिस्वामी	5(S) 32(S) 105(S)	0.149 0.140 0.040
13.	भरत पिता चंदनसिंह नौरिया जाति नौरिया पता खैरूआ नरसिंहपुर मध्य प्रदेश, कंछेदीलाल पिता बलीराम नौरिया पता खैरूआ साईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश, संदीप पिता चंदन सिंह नौरिया पता खैरूआ साईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश, ज्ञानोबाई बेवा चंदन सिंह नौरिया जाति नौरिया पता खैरूआ साईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश, तखतसिंह पिता बलीराम नौरिया जाति नौरिया पता खैरूआ साईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश, सुमंत्राबाई पुत्री बलीराम नौरिया पता खैरूआ साईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	भूमिस्वामी	2/2(S)	0.500

	प्रदेश, अरविंद पिता चंदनसिंह नौरिया जाति नौरिया पता खैरूआ साईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश, रामसिंह पिता बलीराम नौरिया जाति नौरिया पता खैरूआ साईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश, बहोरीलाल पिता बलीराम नौरिया जाति नौरिया पता खैरूआ साईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश			
14.	रामप्रसाद पिता छोटेलाल जाति ढीमर, हरिशंकर पिता छोटेलाल जाति ढीमर पता साईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश, तीजाबाई पुत्री छोटेलाल जाति ढीमर, मुन्नीबाई पुत्री छोटेलाल जाति ढीमर, हल्कीबाई पुत्री छोटेलाल जाति ढीमर पता कैलकच्छ साईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	भूमिस्वामी	2/1(S)	0.498
15.	इमरतलाल पिता सदतू जाति ढीमर पता खैरूआ गाडरवारा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	भूमिस्वामी	2/3(S)	0.235
16.	मुन्नीबाई पुत्री दलेपसिंह जाति राजपूत, गुलजारसिंह पिता दलेपसिंह जाति राजपूत, रामकुंवरबाई पुत्री दलेपसिंह जाति राजपूत, चैनबाई पुत्री दलेपसिंह जाति राजपूत, छोटेशिंह पिता दलेपसिंह जाति राजपूत, रामरजबाई पुत्री दलेपसिंह जाति राजपूत, शांतिबाई पुत्री दलेपसिंह जाति राजपूत पता साईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश, गुडडीबाई पुत्री अनरथ सिंह जाति राजपूत, लक्ष्मीबाई पुत्री अनरथ सिंह जाति राजपूत, अनीताबाई पुत्री अनरथ सिंह जाति राजपूत, सविताबाई पुत्री अनरथ सिंह जाति राजपूत, संगीताबाई पुत्री अनरथ सिंह जाति राजपूत, भारतीबाई पुत्री अनरथ सिंह जाति राजपूत, गिरजाबाई बेवा अनरथ सिंह जाति राजपूत पता कैलकच्छ साईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	भूमिस्वामी	33/1(S)	0.028
			35/1(S)	0.060
			33/2(S)	0.014
			35/2(S)	0.040
17.	हरगोविंद पिता नन्हेवीर पता कैलकच्छ साईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश, पुनिया पत्नी शंकर पता कैलकच्छ साईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश, मूगांवाई बेवा वुध्दे पता कैलकच्छ साईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश,	भूमिस्वामी	36/2(S)	0.060
18.	कोमल पिता दौलत सिंह जाति राजपूत, रघुनाथ पिता दौलत सिंह जाति राजपूत पता कैलकच्छ साईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश,	भूमिस्वामी	36/3(S)	0.045
			39/1(S)	0.152
19.		भूमिस्वामी	39/3(S)	0.060

	कमलेश पिता हल्के जाति राजपूत पता कैलकच्छ सांइखेडा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश,		108(S)	0.005
20.	भैयाराम पिता मानसिंह जाति राजपूत पता कैलकच्छ सांइखेडा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	भूमिस्वामी	39/2(S)	0.252
			107/2(S)	0.006
			47/2(S) 48/2	0.150
21.	विजय सिंह पिता दलेपसिंह राजपूत		140(S)	0.024
22.	मेहरवानसिंह पिता प्रेमसिंह जाति राजपूत, नर्मदासिंह पिता प्रेमसिंह जाति राजपूत, श्यामसिंह पिता प्रेमसिंह जाति राजपूत, मोहकसिंह पिता प्रेमसिंह जाति राजपूत, कुँवरवाई बेवा प्रेमसिंह जाति राजपूत पता कैलकच्छ सांइखेडा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश,	भूमिस्वामी	42(S)	0.193
23.	गुडडीबाई पुत्री अनरथ सिंह जाति राजपूत, लक्ष्मीबाई पुत्री अनरथ सिंह जाति राजपूत, अनीताबाई पुत्री अनरथ सिंह जाति राजपूत, सविताबाई पुत्री अनरथ सिंह जाति राजपूत, संगीताबाई पुत्री अनरथ सिंह जाति राजपूत, भारतीबाई पुत्री अनरथ सिंह जाति राजपूत, गिरजाबाई बेवा अनरथ सिंह जाति राजपूत पता कैलकच्छ सांइखेडा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	भूमिस्वामी	88/3(S) 89/3 90/3 91/3 92/3	0.026
24.	राजेन्द्र सिंह पिता गुलजार सिंह जाति राजपूत, गिरवर सिंह पिता गुलजार सिंह जाति राजपूत पता कैलकच्छ सांइखेडा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	भूमिस्वामी	88/2(S) 89/2 90/2 91/2 92/2	0.450
25.	भरत पिता माखनसिंह जाति राजपूत पता कैलकच्छ सांइखेडा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	भूमिस्वामी	102(S)	0.041
			103/3(S)	0.049
			100(S)	0.368
			103/1(S)	0.130
			142(S) 143	0.198
26.	माखन सिंह पिता पन्नालाल जाति राजपूत पता कैलकच्छ सांइखेडा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	भूमिस्वामी	103/2(S)	0.121
27.	मुन्नीबाई पुत्री सूरतसिंह जाति राजपूत पता कैलकच्छ सांइखेडा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश, कमोद पिता वारेलाल जाति राजपूत पता कैलकच्छ सांइखेडा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश, बाईसहाब पुत्री	भूमिस्वामी	146/3 (S)	0.370

	सूरतसिंह जाति राजपूत पता कैलकच्छ साईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश, मानसिंह पिता वारेलाल जाति राजपूत पता कैलकच्छ साईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश			
28.	जय सिंह पिता हल्के सिंह जाति राजपूत पता कैलकच्छ साईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	भूमिस्वामी	146/1(S)	0.384
29.	मानसिंह पिता धनुलाल जाति राजपूत, रनजोर सिंह पिता धनुलाल जाति राजपूत, मेहरवान सिंह पिता धनुलाल जाति राजपूत पता कैलकच्छ साईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	भूमिस्वामी	146/2/1(S)	0.244
			146/2/2(S)	0.386
30.	खेमसिंह पिता धनुलाल जाति राजपूत पता कैलकच्छ साईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	भूमिस्वामी	146/5(S)	0.034
31.	सत्यपाल सिंह पिता खेमसिंह जाति राजपूत पता कैलकच्छ साईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	भूमिस्वामी	146/4(S)	0.073
32.	संगीता पति अरविन्द सिंह जाति राजपूत पता कैलकच्छ साईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश चन्द्रवती पति अर्जुन सिंह जाति राजपूत पता कैलकच्छ साईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	भूमिस्वामी	164/1(S) 165/1	0.445
33.	चन्द्रभान सिंह पिता कोमल सिंह राजपूत जाति राजपूत, हरपाल सिंह पिता कोमल सिंह राजपूत जाति राजपूत पता कैलकच्छ साईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	भूमिस्वामी	166(S) 167/1(S)	0.110 0.570
34.	ललता बाई पिता चेताराम जाति चमार पता साईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	भूमिस्वामी	167/4/2(S)	0.004
35.	गायत्रीबाई पुत्री भगवत जाति अहिरवार, लेखराम पिता भगवत जाति अहिरवार, शारदा पुत्री भगवत जाति अहिरवार, कुंवरबाई पुत्री भगवत जाति अहिरवार, मुल्लोबाई बेवा भगवत जाति अहिरवार पता कैलकच्छ साईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	भूमिस्वामी	167/5(S) 167/8(S)	0.134 0.263
36.	कढोरी पिता दौलत जाति चमार पता कैलकच्छ साईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	भूमिस्वामी	167/9(S)	0.251
37.	लेखराम पिता भगवत जाति अहिरवार पता खेरूआ कैलकच्छ गाडरवारा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	भूमिस्वामी	167/7(S)	0.304
38.	रामपाल पिता तखतसिंह जाति राजपूत पता कैलकच्छ साईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	भूमिस्वामी	169(S) 170(S)	0.150

			168/2	0.032
39.	श्रीदेव ठाकुरजी मंदिर कैलकच्छ उमेदसिंह पिता रामप्रसाद श्री कलेक्टर महोदय नरसिंहपुर पता कैलकच्छ साईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	भूमिस्वामी	95(S)	0.040
40.	जय सिंह पिता हल्के सिंह जाति राजपूत पता कैलकच्छ साईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	भूमिस्वामी	145(S)	0.227
कुल योग				11.114

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 11(1) उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15(7)-2014-सात-शा. 2ए भोपाल दिनांक-29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है। उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा-12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट कार्यपालन यंत्री रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा-11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिकारी के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर (कक्ष क्रं. 84, भू-अर्जन शाखा, नरसिंहपुर) एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) गाडरवारा के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) गाडरवारा) में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि से संबंधित रेखांकन अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुविभाग गाडरवारा कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार।

(देखिए धारा 11)

क्र. 3061-भू-अर्जन-2024-रा.मा.क्र.0009-अ-82-2024-25

नरसिंहपुर, दिनांक 16 जनवरी 2026

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर को नर्मदा नदी पर चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये डूब क्षेत्र हेतु भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है।

सर्व संबंधित को यह सूचित किया जाता है कि चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति (EC Identification No.-EC23B000MP119529) को राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30.01.2023 प्रदाय की गई है। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 की उपधारा 2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में जहां पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की प्रक्रिया की तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षा की जाती, सामाजिक प्रभाव निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है :-

अनुसूची 1

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. परियोजना का नाम | : चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये डूब क्षेत्र हेतु । |
| 2. भूमि का विवरण | |
| 1. जिला | : नरसिंहपुर |
| 2. तहसील | : गोटेगांव |
| 3. ग्राम | : मुआर |
| 4. प.ह.न. | : 28 |
| 5. नं.ब. | : 472 |
| 6. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | : 2.362 हेक्टेयर |

अनूसूची 2

स. क्र.	भू-धारक खातेदार का नाम (खसरा नाम अनुसार)	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	अर्जन हेतु रकबा हेक्टे में
1	2	3	4	5
1	पुष्पाबाई पटेल पत्नी रघुवर सिंह पटेल पता नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	5/4 (s)	0.016
2	परमलाल पिता भावसिंह जाति ढीमर पता मुआर गोटेगाँव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	9/1/2 (s) 47/4 ख	0.340
3	गुलाब मलाह पिता बीरन सिंह मलाह पता रोंसरा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	9/2/1/1 (s)	
4	टावल सिंह सिलावट पिता अन्नीलाल सिलावट जाति सिलावट पता गंगा नगर जबलपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	9/2/1/2 (s)	
5	लीलवती पिता गौरीशंकर जाति परसवार पता गोटेगाँव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	9/2/1/3 (s)	
6	विमलाबाई वेवा तुलसीराम देवसिंह सुखलाल पिता तुलसीराम जाति ढीमर पता सा.देह गोटेगाँव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	9/2/2 (s) 47/4 ख	
7	जगदीश प्रसाद पिता मिठू लाल जाति चड़ार पता मुआर गोटेगाँव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी ओक	भूमिस्वामी	9/2/3/1 (s)	
8	खुमान पिता मिठूलाल मोती पिता मुल्ले भूरीबाई वेवा मोहनलाल सविता पति मुकेश निर्मला पति इन्द्रीप्रसाद जमनाबाई पति रामजी मनजीत नाबा पिता ब्रजेश बली माँ आरतीबाई सूरज नाबा पिता ब्रजेश बली माँ आरतीबाई आरतीबाई वेवा ब्रजेश जाति चड़ार पता मुआर गोटेगाँव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	9/2/3/2 (s)	

स. क्र.	भू-धारक खातेदार का नाम (खसरा नाम अनुसार)	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	अर्जन हेतु रकबा हेक्टे में
1	2	3	4	5
9	चुन्नू पिता डब्बू जाति ढीमर पता सा. बेलखेड़ी शेढ़ गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	47/2/1 (s)	0.010
10	अनंदी पिता डब्बू जाति ढीमर पता सा. जमुनिया गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	47/2/2 (s)	0.010
11	नेतराम वल्द भावसिंह जाति ढीमर पता मुआर गोटेगाँव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	11/2 (s)	0.135
			47/7 (s)	0.045
12	श्री देव कृष्ण महाराज मंदिर मुआरघाट सर. सुखरानीबाई वेवा देवीसिंह विश्वनाथसिंह उर्फ मनोज कुमार वल्द लछमन सिंह जाति कुर्मी पता सा. कमोद भूमिस्वामी प्रबंधक कलेक्टर महोदय नरसिंहपुर	भूमिस्वामी	28 (s) 29	0.036
13	नेतराज पिता जुगराज सिंह जाति राजपूत पता मुआर गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	30/1 (s) 30/6	0.080
14	दसोदाबाई वेवा टावल सिंह राजपूत गोविन्द सिंह राजपूत पिता टावल सिंह राजपूत अजीत सिंह राजपूत पिता टावल सिंह राजपूत सुषमा पुत्री टावल सिंह राजपूत पता मुआर गोटेगाँव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	30/2 (s)	
15	कमलसिंह पिता जुगराज सिंह जाति राजपूत पता मुआर गोटेगाँव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	30/4 (s)	
16	सुरेशसिंह पिता जुगराज सिंह जाति राजपूत पता मुआर गोटेगाँव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	30/5 (s)	
17	जमेदीबाई पत्नी रेवाराम जाति ढीमर पता मुआर गोटेगाँव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	43/1 (s) 44/1 45/1 46/2	0.100

स. क्र.	भू-धारक खातेदार का नाम (खसरा नाम अनुसार)	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	अर्जन हेतु रकबा हेक्टे में
1	2	3	4	5
18	रामदयाल वल्द कंधी तुलाराम चंदन नाबा पिता रामलाल वली दुर्गाप्रसाद वल्द हरिप्रसाद लोके चतुर्भुज बलकिशन पिता गिरधारी केशवप्रसाद धनसिंह गंगाराम पिता रामप्रसाद दसोदाबाई पिता जीतलाल जाति ढीमर पता मुआर गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	47/6 (s) 54/3 (s) 58 (s)	0.065 0.123 0.064
19	रामदास अर्जुन रामजी पिता गुलजार जुगईबाई वेवा गुलजार जाति ढीमर पता मुआर गोटेगाँव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	48 (s) 49 (s)	0.345
20	रामकुमारी पत्नी कृष्ण कुमार जाति राजपूत पता मुआर गोटेगाँव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	51/2 (s) 52/2 (s)	0.038 0.193
21	धनश्याम पिता कोदूलाल जाति ढीमर पता मुआर गोटेगाँव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	51/3 (s) 53/2 (s) 56 (s)	0.084 0.062 0.032
22	राजकुमार कृष्णकुमार सुभद्राबाई पिता पंचमसिंह जाति राजपूत पता मुआर गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	52/1 (s)	0.300
23	छिदामी पिता कोदूलाल जाति ढीमर पता मुआर गोटेगाँव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	53/1 (s)	0.028
24	मीराबाई पत्नी कोदूलाल जाति ढीमर पता मुआर गोटेगाँव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी ओक	भूमिस्वामी	53/3/1 (s)	0.040
25	संजय पिता रघुवर सिंह जाति पटेल पता रहली गोटेगाँव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	53/3/2 (s)	0.106
26	तुलाराम चंदन पिता रामलाल जाति ढीमर पता मुआर गोटेगाँव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	54/2 (s)	0.062

स. क्र.	भू-धारक खातेदार का नाम (खसरा नाम अनुसार)	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	अर्जन हेतु रकबा हेक्टे में
1	2	3	4	5
27	विमलाबाई वेवा तुलसीराम देवसिंह सुखलाल पिता तुलसीराम जाति ढीमर पता सा.देह गोटेगाँव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	10/2 (s)	0.048
			कुल योग	2.362

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ भोपाल दिनांक-एफ 16-15(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है। उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् कय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कक्ष क्रमांक-84 भू-अर्जन शाखा, नरसिंहपुर) एवं अनुविभागीय अधिकारी सह भू-अर्जन अधिकारी गोटेगांव के कार्यालय में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि से संबंधित रेखांकन अनुविभागीय अधिकारी सह भू-अर्जन अधिकारी गोटेगांव में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

प्रारंभिक अधिसूचना
(देखिए धारा 11)

क्र. 794-अ.वि.अ.-भू-अर्जन-2025-रा.मा.क्र.2-अ-82-2025-26

नरसिंहपुर, दिनांक 20 जनवरी 2026

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर को नर्मदा नदी पर चिनकी बोरस बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये **बोरस बराज** निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

सर्व संबंधित को यह सूचित किया जाता है कि चिनकी बोरस बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति (EC Identification No.-EC23B000MP119529) को राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30.01.2023 प्रदाय की गई है। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 की उपधारा-2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में जहां पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की प्रक्रिया की तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षा की जाती, सामाजिक प्रभाव निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है :-

अनुसूची 1

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. परियोजना का नाम | : चिनकी बोरस बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये डूब क्षेत्र हेतु। |
| 2. भूमि का विवरण | |
| 1. जिला | : नरसिंहपुर |
| 2. तहसील | : तेंदूखेड़ा |
| 3. ग्राम | : लिंगा |
| 4. प.ह.न. | : 43 |
| 5. नं.ब. | : 417 |
| 6. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | : 2.169 हेक्टेयर |

अनूसूची 2

स. क्र.	हितबध्द व्यक्ति का नाम एवं पता	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे.)
1	2	3	4	5
1	मोहनसिंह पिता नारायण प्रसाद जाति किरार पता छत्तरपुर तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	28 (S) 26/2 (S)	0.049 0.004
2	धन्नु पिता रतन जाति गौड़ पता छत्तरपुर तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	29/2 (S)	0.030
3	चन्द्रकला किरार पत्नी राजकुमार किरार जाति किरार पता इमलिया कंदेली तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर	भूमिस्वामी	34/3 (S)	0.012
4	श्यामलाल पिता कोमलसिंह जाति किरार पता छत्तरपुर तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	35/1 (S)	0.120
5	कीरतसिंह मेघराज ओंकार पुत्र हरीराम जाति किरार पता छत्तरपुर तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	35/2 (S)	0.120
6	बत्तीबाई लक्ष्मीबाई पति जोजे रघुवर जाति किरार पता छत्तरपुर तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	36 (S)	0.150
7	मोहनलाल पिता वंशीधर जाति किरार पता छत्तरपुर तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	38/2 (S) 41/2 (S)	0.004 0.084
8	प्रहलाद पिता तेजराम जाति किरार पता छत्तरपुर तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	37/1 (S) 40/1 (S)	0.060 0.040
9	दर्शन पिता भैयालाल जाति किरार पता छत्तरपुर तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	37/2 (S) 40/5 (S)	0.120 0.036
10	लक्ष्मीबाई बेवा भगवानदास थानसिंह करनसिंह पुत्र भगवानदास जाति किरार पता छत्तरपुर तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	41/1 (S)	0.008
11	नीलेश कुमार पिता मनोहर लाल जाति किरार पता तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	52/1 (S)	0.016

स. क्र.	हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे.)
1	2	3	4	5
12	मिथलेश पिता मनोहर जाति किरार पता तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	52/4 (S)	0.076
13	कोमल सिंह पिता हल्के पता छत्तरपुर तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	52/3 (S)	0.060
			94/3 (S)	0.030
14	दशरथ पिता कोमलसिंह जाति किरार पता छत्तरपुर तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	53/1 (S)	0.034
			93 (S)	0.004
15	शिवबाई पति घनश्याम जाति किरार पता लिंगा तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	53/2 (S)	0.026
16	प्रकाश पिता कोमलसिंह जाति किरार पता छत्तरपुर तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	53/3 (S)	0.045
			97/2 (S)	0.140
17	सियाराम पिता कोमलसिंह जाति किरार पता छत्तरपुर तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	53/4 (S)	0.055
			97/3 (S)	0.235
18	चंद्रकला किरार पत्नी राजकुमार किरार जाति किरार पता इमलिया (कढैली) तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	54/1 (S)	0.211
19	बसंत पिता परषोत्तम जाति नोरिया पता छत्तरपुर तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	78/2 (S)	0.050
20	सुंदर वल्द रम्मू श्याम मुन्ना संतोष पिस. चेताराम दशोदा कुसुम पुत्री चेताराम पूनाबाई मुन्नीबाई भुरीबाई पुत्री परमलाल रामबाई वेवा परमलाल जाति नोरिया पता सा. छत्तरपुर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	96 (S)	0.130
			97/1 (S)	0.200
21	अर्जुन पिता हल्के जाति किरार पता छत्तरपुर तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	94/1 (S)	0.008
22	मनोहरलाल पिता तुलसीराम जाति किरार पता छत्तरपुर तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	94/2 (S)	0.012
कुल योग				2.169

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ भोपाल दिनांक-एफ 16-15(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है। उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा-12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा-11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिकारी के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर (कक्ष क्रमांक-84, भू-अर्जन शाखा, नरसिंहपुर) अथवा कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) नरसिंहपुर कार्यालय में आपेक्ष यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि से संबंधित रेखांकन अनुविभागीय अधिकारी (रा.) नरसिंहपुर कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

रजनी सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

प्रारूप V
(नियम 10 देखें)

धारा 19(1) के महम् पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन घोषणा का प्रकाशन सचिव, राजस्व विभाग

क्र. 74-भू-अर्जन-2026-रा.मा.क्र.0016-अ-82-2024-25

नरसिंहपुर, दिनांक 15 जनवरी 2026

जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन शक्कर पेंच, लिंक संयुक्त परियोजना के लिये डूब क्षेत्र हेतु ग्राम - भोमरी प.ह.नं.173 नं.ब. 352 तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर के कुल 3.761 हे. भूमि अपेक्षित है। इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है, जो 3.761 हे. है ग्राम - भोमरी तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर में है, जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:-

ग्राम - भोमरी तहसील गाडरवारा प.ह.नं.-173

क्रं.	हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	अर्जित रकबा हे. में
1	2	3	4	5
1.	सुकिया बाई पिता स्व महमानसा जाति गौड पता भोमरी गाडरवारा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	भूमिस्वामी	70 (S)	2.021
2.	फुलमान, बलमान, शंकर, गुलमान पिता खेमलाल जाति गौड पता गाडरवारा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	भूमिस्वामी	68/1(S)	0.805
			67/1(S)	0.010
3.	शांतिबाई बेवा जीवन जाति गौड पता गाडरवारा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश, बसंती बाई, द्रोपदी बाई पुत्री जीवन जाति गौड पता गाडरवारा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	भूमिस्वामी	68/2(S)	0.925
कुल योग-				3.761

- यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है।
- कार्यपालन यंत्री, रा.अ.बा.लो.सा. नहर संभाग नरसिंहपुर के द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है कि भू-अर्जन अधिनियम के अनुसार निराकरण में भौतिक सत्यापन किये जाने पर यह पाया गया है कि उक्त भू-अर्जन में किसी प्रकार का कोई विस्थापन व पुर्नवास नहीं किया जाना है।
- शक्कर पेंच, लिंक संयुक्त परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
- उक्त भूमि के या उक्त भूमि किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानें हैं, खान और खनिज के ऐसे भागों, में जिन्हें उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
- अनुविभागीय अधिकारी (रा.) गाडरवारा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

प्रारूप V
(नियम 10 देखे)

धारा 19 (1) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन घोषणा का प्रकाशन
सचिव, राजस्व विभाग

क्र. 39-अ.वि.अ.-भू-अर्जन-202-रा.मा.क्र.0020-अ-82-2024-25

नरसिंहपुर, दिनांक 21 जनवरी 2026

जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन चिनकी बोरस बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु ग्राम-डोंगरगांव प.ह.नं.-5 नं.ब.-227 तहसील नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर में कुल 10.310 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है। इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है, जो 10.310 हेक्टेयर है ग्राम डोंगरगांव तहसील नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर में है, जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है :-

ग्राम-डोंगरगांव प.ह.नं.-5 नं.ब.-227 तहसील-नरसिंहपुर

स. क्र.	हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
1	बतीबाई पत्नी टावलसिंह कैलाश सिंह सोमनाथ पिता टावलसिंह दयावती सविता बड़ीरानी पुत्री टावलसिंह गौड़ पता डोंगरगाँव	भूमिस्वामी	208/1 (s)	0.190
2	रामदयाल शिवदयाल सावित्रीबाई सुधारानी पिता कोमलप्रसाद विश्वविदित पिता रानू पुत्री सीताराम अग्रवाल सा.देह	भूमिस्वामी	208/2/1 (s)	
			212/1/1 (s)	
3	दिनेश कुमार पिता गुलाबचंद अग्रवाल सा. कजरोटा	भूमिस्वामी	208/2/2 (s)	
			212/2 (s)	
4	रामदयाल पिता कोमल प्रसाद अग्रवाल सा.देह	भूमिस्वामी	208/2/3 (s)	
			212/3 (s)	

स. क्र.	हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
5	सावित्रीबाई पिता कोमल पत्नि सन्तोष अग्रवाल सा. लोलरी	भूमिस्वामी	212/1/2 (s)	
6	रामलाल पिता जीवनलाल गौड़ सा.देह	भूमिस्वामी	208/3 (s)	
7	सत्यवती बाई वेवा भोपत अमरसिंह कुमेर सिंह पिता भोपत सिंह गोंड़ सा.देह	भूमिस्वामी	208/4/1 (s)	
8	प्रेमसिंह पिता टीकाराम गौड़ सा.देह	भूमिस्वामी	208/5 (s)	
9	हीरालाल पिता जीवन लाल गौड़ सा.देह	भूमिस्वामी	208/6 (s)	
10	भीकमसिंह पिता जीवन लाल गौड़ सा.देह	भूमिस्वामी	208/7 (s) 224/1 (s)	
11	पारवती बाई पत्नि भीकम सिंह गौड़ सा. देह	भूमिस्वामी	208/8 (s) 224/2 (s)	
12	भागचंद पिता भीकम सिंह गौड़ सा.देह	भूमिस्वामी	208/9 (s) 224/3 (s)	
13	गोविंद सिंह पिता नन्हूसिंह गौड़ सा.देह	भूमिस्वामी	208/11 (s)	
14	प्रेमसिंह पिता टीकाराम गौड़ सा.देह	भूमिस्वामी	209/1 (s)	0.041
15	रामलाल पिता जीवनलाल गौड़ सा.देह	भूमिस्वामी	209/2 (s) 210/2 (s)	0.107
16	सत्यवती बाई वेवा भोपत अमरसिंह कुमेर सिंह पिता भोपत सिंह गौड़ सा.देह	भूमिस्वामी	210/1 (s)	0.174
17	रामदयाल शिवदयाल पिता कोमलप्रसाद सावित्रीबाई सुधारानी पुत्री कोमलप्रसाद विश्वविदित पिता सीताराम रानू पुत्री सीताराम अग्रवाल सा.देह	भूमिस्वामी	211/1 (s)	0.154
18	दिनेश कुमार पिता गुलाबचंद अग्रवाल सा. कजरोटा	भूमिस्वामी	211/2 (s)	0.077
19	रामदयाल पिता कोमल प्रसाद अग्रवाल सा.देह	भूमिस्वामी	211/3 (s)	0.077

स. क्र.	हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
20	थम्मन सिंह वल्द खुब्बे मेहरा ग्राम नौकर	सेवाभूमि	215 (s)	0.008
21	भगवत स्वरूप वल्द रामचरण ब्राम्हण सा. देह	भूमि स्वामी	216 (s)	0.445
			217 (s)	0.089
			218 (s)	0.150
			219 (s)	0.084
			220 (s)	0.060
			221 (s)	0.160
			222 (s)	0.004
22	थम्मन सिंह वल्द खुब्बे मेहरा ग्राम नौकर	सेवाभूमि	246 (s)	0.020
			247 (s)	0.008
23	मोतीबाई पत्नि कलू उर्फ बारेलाल प्रीतम पिता कलू उर्फ बारेलाल फूलाबाई सविता पुत्री कलू उर्फ बारेलाल धनाबाई पत्नि अन्नीलाल नन्हेलाल महेश कुमार प्रवेश पिता अन्नीलाल शांतिबाई बट्टोबाई पुत्री अन्नीलाल डीमर सा. घाट पिपरिया	भूमिस्वामी	248 (s)	0.077
			250 (s)	0.348
24	सुरेश कुमार पिता गोकल प्रसाद डीमर सा.देह	भूमिस्वामी	251 (s)	0.227
			252 (s)	0.065
			253 (s)	0.149
25	आदिशक्ति मा. सरवरायकार गोविंद पिता नन्हू धुर्वे सा.देह	भूमिस्वामी	254/1 (s)	0.166
			254/2 (s)	0.166
			255 (s)	0.178
			256 (s)	0.186
			258 (s)	0.080
26	चितिया पत्नी धरम डीमर सा.देह	भूमिस्वामी	257 (s)	0.121
27	हक्के पिता परसादी डीमर सा. घाट पिपरिया	भूमिस्वामी	304 (s)	0.060

स. क्र.	हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
28	सेवाराम पिता परसादी ढीमर सा.देह	भूमिस्वामी	305 (s)	0.088
29	रविन्द्र पिता बल्लभदास पटेल गोकुल सोसायटी प्रताप नगर सिंधबाई मातारोड बड़ोदरा गुजरात हाल मुकाम नरहेरा पो. भाड़ून उदयपुरा रायसेन	भूमिस्वामी	308/3 (s) 309/3 (s)	0.101
30	हेमराज पिता शिवराती ढीमर सा.देह	भूमिस्वामी	312 (s)	0.044
31	उर्मिलाबाई पत्नि गोपाल प्रसाद मल्लाह सा.देह	भूमिस्वामी	313/1 (s)	0.080
32	महेश कुमार राजाराम पिता खोबाराम मायाबाई पुत्री खोबाराम चरनसिंह पिता पूरनलाल जाति मलाह सा.देह	भूमिस्वामी	313/2 (s)	
33	जमनाबाई वेवा गनेशराम भारत भीकम पिता गनेशराम लक्ष्मीबाई मोहनबाई पुत्री गनेशराम मल्लाह सा. घाटपिपरिया	भूमिस्वामी	313/3 (s)	
34	उर्मिलाबाई पत्नि गोपाल प्रसाद मलाह सा.देह	भूमिस्वामी	314/1 (s)	0.032
35	महेश कुमार राजाराम पिता खोबाराम मायाबाई पुत्री खोबाराम चरनसिंह पिता पूरनलाल जाति मलाह सा.देह	भूमिस्वामी	314/2 (s)	
36	जमनाबाई वेवा गनेशराम भारत भीकम पिता गनेशराम लक्ष्मीबाई मोहनबाई पुत्री गनेशराम मलाह सा. घाट पिपरिया	भूमिस्वामी	314/3 (s)	
37	केहरसिंह पिता मन्नूलाल लोधी निवासी घाटपिपरिया	भूमिस्वामी	315/1 (s)	0.040

स. क्र.	हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
38	चरनलाल टीकाराम उर्फ टेकसिंह ज्ञानी सेवक उर्फ गेंदालाल पिता दुर्जन जानकीबाई किक्को बाई जिज्जोबाई कौशल्या बाई रामाबाई पुत्री दुर्जन लोटन महादेव पिता केवराम शियाबाई पुत्री केवराम ढीमर सा.देह	भूमिस्वामी	315/2 (s)	0.028
39	कावेरी पत्नि ईश्वर नारायण उदेनिया सा. देह	भूमिस्वामी	323 (s)	0.200
40	संध्या पत्नि मनोज कुमार ब्राम्हण सा.देह	भूमिस्वामी	324/1 (s)	0.040
			325/1 (s)	0.120
41	श्रीमति पार्वती बाई पत्नि संजय कुमार ब्राम्हण सा.देह	भूमिस्वामी	320/2 (s)	0.040
			324/2 (s)	0.040
			325/2 (s)	0.245
42	कोमल पिता तिजई ढीमर सा.देह	भूमिस्वामी	326 (s)	0.141
			327 (s)	0.042
			331/1 (s)	0.112
43	कमल पिता तिजई ढीमर सा.देह	भूमिस्वामी	331/2 (s)	0.012
44	संध्या पत्नि मनोज कुमार ब्राम्हण सा.देह	भूमिस्वामी	330/1/1 (s)	0.056
45	पार्वती बाई पत्नि संजय कुमार ब्राम्हण सा.देह	भूमिस्वामी	330/1/2 (s)	
46	जीरालाल वल्द तिजई ढीमर सा.देह	भूमिस्वामी	330/2 (s)	
47	डब्ल पिता गोरेलाल ढीमर निवासी डोंगरगांव	भूमिस्वामी	333 (s)	0.048
48	भीकम वल्द तिजई ढीमर सा.देह	भूमिस्वामी	335 (s)	0.008
49	जीरालाल पिता तिजई ढीमर सा.देह	भूमिस्वामी	336/1 (s)	0.056

स. क्र.	हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
50	धनसिंह पिता तिजई ढीमर सा.देह	भूमिस्वामी	351 (s)	0.220
51	तिजई पिता नन्हे ढीमर सा.देह	भूमिस्वामी	352 (s)	0.442
52	डब्ल पिता गोरेलाल ढीमर सा.देह	भूमिस्वामी	353 (s)	0.809
53	हेमराज पिता शिवराती ढीमर सा.देह	भूमिस्वामी	354 (s)	0.583
54	उर्मिलाबाई पत्नि गोपाल प्रसाद मल्लाह सा.देह	भूमिस्वामी	355/1 (s)	0.318
			356/1 (s)	0.095
			357/1 (s)	0.129
55	चरनसिंह पिता पूरनलाल महेश कुमार राजाराम पिता खोबाराम मायाबाई पुत्री खोबाराम जाति मलाह सा.देह	भूमिस्वामी	355/2 (s)	0.318
			356/2 (s)	0.095
			357/2 (s)	0.129
			355/3 (s)	0.319
			356/3 (s)	0.094
			357/3 (s)	0.130
56	रविन्द्र पिता बल्लभदास पटेल गोकुल सोसायटी प्रताप नगर सिंधबाई मातारोड बडोदरा गुजरात हाल मुकाम नरहेरा पो. भाड़ून उदयपुरा रायसेन	भूमिस्वामी	358/1 (s)	0.200
			359/1 (s)	
			358/2 (s)	0.400
			359/2 (s)	
			358/3 (s)	0.425
			359/3 (s)	
			360/1 (s)	0.199
			361/1 (s)	
			360/2 (s)	0.100
			361/2 (s)	
57	चेतु रामदयाल रघुनाथ पिता फूलसिंह हल्कोबाई रेवतीबाई मुन्नीबाई पन्नाबाई शकुनबाई दसियाबाई पुत्री फूलसिंह कलू पिता जुग्गा शान्ती पुत्री जुग्गा जाति ढीमर सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	362/2 (s)	0.061
कुल योग				10.310

1. उपरोक्त सूची के सरल क्रमांक-27 में न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नरसिंहपुर का प्रकरण क्रमांक 0037/अपील/2024-25 आदेश दिनांक 28.03.2025 एवं सरल क्रमांक-51 में न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी नरसिंहपुर के प्रकरण क्रमांक 0320-अ-6 (अ) 2025-26 आदेश दिनांक 06.01.2026 के अनुसार भू-अभिलेख में संशोधन किया गया।
2. यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है।
3. कार्यपालन यंत्री रा.अ.बा.लो.सा. नहर संभाग नरसिंहपुर के द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्ब की संख्या निरंक है, अतः इनके लिये पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
4. चिनकी बोरस बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
5. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानें हैं, खान और खनिज के ऐसे भागों, में जिन्हे उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
6. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) नरसिंहपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

प्रारूप V
(नियम 10 देखे)

धारा 19 (1) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन घोषणा का प्रकाशन
सचिव, राजस्व विभाग

क्र. 3092-अ.वि.अ.-भू-अर्जन-2026-रा.मा.क्र.0002-अ-82-2023-24

गोटेगांव, दिनांक 22 जनवरी 2026

जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु ग्राम-झोझा प.ह.नं.-26 नं.ब.-112 तहसील गोटेगांव जिला नरसिंहपुर में कुल 2.257 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है। इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है, जो 2.257 हेक्टेयर है ग्राम झोझा तहसील गोटेगांव जिला नरसिंहपुर में है, जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है :-

ग्राम-झोझा प.ह.नं.-26 नं.ब.-112 तहसील-गोटेगांव

स. क्र.	भू-धारक खातेदार का नाम (खसरा नाम अनुसार)	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	अर्जन हेतु रकबा (हे.में)
1	2	3	4	5
1	अंजनसिंह पिता टीकाराम बेनीसिंह पिता अंजनसिंह जाति लोधी पता भैंसा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1/1 (s)	0.280
			2/1 (s)	0.020
			6/1 (s)	0.030
2	लखनलाल पिता बाबूलाल जाति चौकसे निवासी गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1/4 (s)	0.085
3	अनुराग पिता रामकुमार जाति चौकसे पता भैंसा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	7 (s)	0.004
			8/1 (s)	0.241
4	रवीन्द्र कुमार पिता टीकाराम जाति चौकसे पता भैंसा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश	भूमिस्वामी	8/2 (s)	0.232
			9/2 (s)	0.008

 भूमिस्वामी

स. क्र.	भू-धारक खातेदार का नाम (खसरा नाम अनुसार)	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	अर्जन हेतु रकबा (हे.मै)
1	2	3	4	5
5	जीजीबाई पति धनीराम जाति यादव पता झोंझा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	11/1 (s)	0.245
6	बंसतीबाई पति दशरथ जाति यादव पता झोंझा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	11/3 (s)	0.073
7	हक्कीबाई वेवा सुखई चूरामन चेताराम राजेन्द्र मुलाम पिता सुखई यादव जाति अहीर पता झोंझा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	12/1 (s)	0.305
8	कमलाबाई वेवा पूरन घनसू दशरथ पिता पूरन यादव जाति अहीर पता झोंझा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	12/2 (s)	0.214
			10/2 (s)	0.008
9	धनीराम पिता कोमल यादव जाति अहीर पता झोंझा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	12/3/1 (s)	0.008
			15/2 (s)	0.048
10	लीलाधर पिता कोमल यादव जाति अहीर पता झोंझा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	12/3/2 (s)	0.008
11	रुकमण बाई पति गुलाब मंतोबाई पति बद्रीप्रसाद जाति अहीर पता झोंझा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	15/1 (s)	0.040
12	बलराम मुन्ना श्यामबाई दीपा मुन्नी गीता सूरजबाई कल्लोबाई मनोबाई सकुनबाई विमलाबाई भीकमबाई पिता रामदीन गोदावरी बाई बेबा सीताराम महेन्द्र गायत्री गौराबाई पिता सीताराम जाति मलाह पता झोंझा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	22/1 (s)	0.012
13	सेबकराम पिता बलराम जाति मलाह पता झोंझा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	23/1/1 (s)	0.004
14	रामचरण पिता बलराम जाति मलाह पता झोंझा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	23/1/2 (s)	0.004

स. क्र.	भू-धारक खातेदार का नाम (खसरा नाम अनुसार)	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	अर्जन हेतु रकबा (हे.मै)
1	2	3	4	5
15	सुनीता बेवा धनीराम कैलाश राजू पिता धनीराम मीरा पिता गिरवरसिंह बतीबाई वेवा गिरवरसिंह मंतीबाई पिता गिरवर सिंह सतेन्द्र संगीता पिता संतोष जाति मलाह पता झोंझा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	29/1 (s)	0.032
16	रमेश पिता अम्बका प्रसाद गुम्मा उर्फ कल्ला बाई पिता अम्बका प्रसाद जालम पिता अम्बका प्रसाद लक्ष्मन सिंह पिता अम्बका प्रसाद सुरेश कुमार पिता अम्बका प्रसाद सोनाबाई पिता अम्बका प्रसाद तुलसाबाई पिता अम्बका प्रसाद जाति मलाह पता झोंझा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	29/2 (s)	0.032
17	मुल्लीबाई बेवा छोटेलाल जाति बर्मन पता झोंझा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	31/1/1 (s)	0.044
18	पूरनलाल पिता हीरालाल जाति मलाह पता झोंझा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	33/1/1 (s) 34/1/1 35/1/1 37/1/1	0.140
19	हकोली पिता हीरालाल जाति मलाह पता झोंझा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	33/1/2 (s) 34/1/2 35/1/2 37/1/2 33/1/3 (s) 34/1/3 35/1/3 37/1/3	0.120 0.020
कुल योग				2.257

1. यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुर्नवासन एवं भूतन्त्रव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबोधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है।

2. कार्यपालन यंत्री रानी अवंती बाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर के द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्ब की संख्या निरंक है, अतः इनके लिये पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
3. चिनकी बोरस बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा-19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
4. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानें हैं, खान और खनिज के ऐसे भागों, में जिन्हें उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
5. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) गोटेगांव के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

प्रारूप V
(नियम 10 देखे)

धारा 19 (1) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन घोषणा का प्रकाशन
सचिव, राजस्व विभाग

क्र. 810-भू-अर्जन-2025-रा.मा.क्र.0002-अ-82-2024-25

तेंदूखेड़ा, दिनांक 22 जनवरी 2026

जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन चिनकी बोरस बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु ग्राम-करौंदी प.ह.नं. 21 नं.ब. 50 तहसील तेंदूखेड़ा जिला नरसिंहपुर के कुल 2.135 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन भू-खंड है, जो 2.135 हेक्टेयर है ग्राम-करौंदी तहसील तेंदूखेड़ा जिला नरसिंहपुर में है, जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है :-

ग्राम-करौंदी तहसील-तेंदूखेड़ा प.ह.नं.- 21

स. क्र.	भू-धारक खातेदार का नाम (खसरा नाम अनुसार)	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	अर्जित रकवा हे. में
1	2	3	4	5
1	सरोजबाई, मनोरमबाई पुत्री चेताराम पालीवाल, जाति ब्राम्हण, पता गाडरदार, नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	50 (s)	0.008
2	जगदीश पिता बाबूलाल, ओंकार पिता बाबूलाल नाई, कस्तूरी बाई वेवा बाबूलाल नाई, पता करौंदी तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	113/28 (s)	0.105
3	बन्शी पिता जगन, जाति गौड़, पता करौंदी तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	113/26 (s)	0.160
4	मुन्नालाल पिता रामकिशन, जाति धानक, हल्कोरी पिता रामकिशन, जाति धानक पता करौंदी तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	113/25 (s)	0.156

स. क्र.	भू-धारक खातेदार का नाम (खसरा नाम अनुसार)	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	अर्जित रकवा हे. में
1	2	3	4	5
5	बिन्नोबाई वेवा रामकिशन, जाति धानक, पता करौंदी तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी, बाबूलाल पिता रामकिशन, मुन्नालाल पिता रामकिशन, भगवती पुत्री रामकिशन, बत्तीबाई पुत्री रामकिशन, गुन्वोबाई बेवा दुन्नीलाल, शेरसिंह, कैलाश पिता दुन्नीलाल, दशोदा, पार्वतीबाई, गीताबाई पुत्री दुन्नीलाल, जाति धानक, पता करौंदी तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश, भूमिस्वामी, हल्कीबाई वेवा हल्कोरी, लालचंद पिता हल्कोरी, सविता पुत्री हल्कोरी, जाति धानक, पता करौंदी तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी, मूलचंद पिता जगन, प्रेमबाई पुत्री जगन, जाति धानक, पता करौंदी तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	113/4 (s) 113/8 (s)	0.080
6	सुंदरलाल पिता रतन, जाति धानक, हरिराम पिता रतन, जाति धानक, चूरामन पिता रतन, जाति धानक, बाबूलाल पिता रतन, जाति धानक, ममता पुत्री रतन, जाति धानक, मोनीबाई पुत्री रतन, जाति धानक, पता करौंदी तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी, मोहन टावल पिता साहबलाल, गुलाबवाई, मुन्नीबाई, रेवतीबाई, सुनीता पुत्री साहबलाल, जाति धानक, पता करौंदी तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	173 (s) 172 (s)	0.180 0.120

स. क्र.	भू-धारक खातेदार का नाम (खसरा नाम अनुसार)	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	अर्जित रकवा हे. में
1	2	3	4	5
7	श्री देव नर्मदा जी करौंदी घाट सर. वल्देय प्रसाद, जाति जाति पालीवाल पता करौंदी तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी निजी संस्था श्रीमान जिलाध्यक्ष महोदय नरसिंहपुर	भूमिस्वामी	169 (s)	0.040
8	शासकीय किशोरीलाल पिता कडोरी, जाति चड़ार, पता करौंदी तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	168/12 (s)	0.004
9	सुक्का पिता भुजबल, जाति गौड़, पता करौंदी तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	168/13 (s)	0.195
10	ज्ञानबाई वेवा दयाराम, सुरमीली पुत्री दयाराम प्रिंस ना.बा. पिता दयाराम, हिमिनी बविता ना.बा. पुत्री दयाराम बलि माँ ज्ञानबाई वेवा दयाराम, जाति गौड़, पता करौंदी तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	168/15 (s)	0.180
11	गोमती बाई वेवा मोतीलाल, जाति गौड़, पता करौंदी तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी, बलीराम पिता मोतीलाल, जाति गौड़, अरविन्द पिता मोतीलाल, जाति गौड़, पता करौंदी तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	168/16 (s)	0.105
12	लवलेश पालीवाल पिता कृष्ण कुमार पालीवाल, जाति ब्राम्हण, पता गाडरवार	भूमिस्वामी	166 (s)	0.140
			167 (s)	0.110

स. क्र.	भू-धारक खातेदार का नाम (खसरा नाम अनुसार)	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	अर्जित रकवा हे. में
1	2	3	4	5
	नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी			
13	हनुमत पिता शिवचरन, जाति गौड़, पता करौंदी तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी, सन्ताबाई पत्नी हनुमत, गौड़, पता करौंदी तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	165/8 (s)	0.202
14	फूलसिंह पिता बिहारी, जाति चड़ार, पता करौंदी तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी, हाकम पिता बिहारी, जाति चड़ार, सुजान पिता बिहारी, जाति चड़ार, पता करौंदी तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	165/6 (s)	0.230
15	चोखेलाल कैलाश पिता बिहारी, जाति चड़ार, पता करौंदी तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	165/7 (s)	
16	बसोरी पिता हाकम सिंह, जाति गौड़, पता करौंदी तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	165/2 (s)	0.120
कुल योग				2.135

- यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमिअर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है।
- कार्यपालन यंत्री, रा.अ.बा.लो.सा. नहर संभाग नरसिंहपुर के द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है कि भू-अर्जन अधिनियम के अनुसार निराकरण में भूमि सत्यापन किये जाने पर यह पाया गया है कि उक्त भू-अर्जन में किसी प्रकार का कोई विस्थापन व पुनर्वासन नहीं किया जाना है।
- चिनकी बोरस बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के के पंप हाउस क्रमांक 02 एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
- उक्त भूमि के या उक्त भूमि किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानें हैं, खान और खनिज के ऐसे भागों, में जिन्हें उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
- अनुविभागीय अधिकारी (रा.) तेंदूखेड़ा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

प्रारूप V
(नियम 10 देखे)

धारा 19 (1) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन घोषणा का प्रकाशन सचिव, राजस्व विभाग

क्र. 812-भू-अर्जन-2025-रा.मा.क्र.0002-अ-82-2022-23

जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि गाडरवारा - सालाबरू पर ग्राम हीरापुर - सडरई मार्ग में सिंदूर नदी पर पहुंच मार्ग सहित उच्चस्तरीय पुल निर्माण हेतु ग्राम - हीरापुर प.ह.नं. 22 नं.ब. 469 तहसील तेंदूखेडा जिला नरसिंहपुर के कुल 2.457 हे. हे. भूमि अपेक्षित है। इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है, 2.457 हे. है ग्राम - हीरापुर तहसील तेंदूखेडा जिला नरसिंहपुर में है, जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:-

ग्राम - हीरापुर तहसील तेंदूखेडा प.ह.नं.-22

क्र.	हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	अर्जित रकबा हे. में
1	2	3	4	5
1	काशीराम बल्द दानी, जाति गडरिया निवासी हीरापुर	भूमिस्वामी	128/2(s)	0.046
			129/2(s)	0.555
2	वीरेन्द्र सिंह, नरेन्द्र सिंह पिस० रघुवीर सिंह शकुनबाई पुत्री रघुवीर सिंह, शांतनु, सत्यम पिस० देवेन्द्रसिंह, सविता बाई बेवा देवेन्द्रसिंह, राधेलाल पिता हाकमसिंह, रामनाथ पिता पंचमसिंह जाति राजपूत पता सूरेला पिपरिया नर्मदापुरम म०प्र०	भूमिस्वामी	114/2(s)	0.034
			109/1(s)	0.080
3	घनश्याम, भगवत पिता बाबूलाल, सकुनबाई पुत्री बाबूलाल जाति गडरिया सा० हीरापुर	भूमिस्वामी	130(s)	0.028
			113/2(s)	0.146
4	शांतिबाई पति मंगलसिंह जाति राजपूत, निवासी हीरापुर	भूमिस्वामी	113/1(s)	0.230
5	रमाकांत पिता विष्णुप्रसाद जाति ब्राम्हण निवासी हीरापुर	भूमिस्वामी	112/6(s)	0.170

6	संदीप बल्द सुरेश जाति ब्राम्हण निवासी हीरापुर	भूमिस्वामी	112/3(s)	0.178
7	राधेलाल पिता हाकमसिंह, जाति राजपूत निवासी हीरापुर	भूमिस्वामी	112/2/2(s)- 112/4/2(s)- 112/5/2(s)	0.495
8	वीरेन्द्र सिंह, नरेन्द्र सिंह पिस० रघुवीर सिंह शकुनबाई पुत्री रघुवीर सिंह, शांतनु, सत्यम पिस० देवेन्द्रसिंह सविता बाई बेवा देवेन्द्रसिंह जाति राजपूत पता सूरला पिपरिया नर्मदापुरम म०प्र०		112/2/1(s)- 112/4/1(s)- 112/5/1(s)	0.495
		कुल योग		2.457 हे.

1. यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमिअर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा में 15 यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है।
2. गाडरवारा - सालाबरू पर ग्राम हीरापुर - सडरई मार्ग में सिंदूर नदी पर पहुंच मार्ग सहित उच्चस्तरीय पुल निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा की उपधारा 19 (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानें हैं, खान और खनिज के ऐसे भागों, में जिन्हें उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) तेंदूखेड़ा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

रजनी सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.